

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)
ORIGINAL APPLICATION NO. 260 OF 2024

HEMRAJ MEENA
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS
PAPER BOOK INDEX

Sl. No.	Description of Documents with Annexure No.	PAGE NO.
1.	Memo of the Original Application with synopsis and chronology of events.	1-16
2.	Affidavit in support of Original Application.	17
3.	DOCUMENTS :	
(a)	ANNEXURE – A/1 Photo copy of order dated 21/11/1961.	18-19
(b)	ANNEXURE – A/2 Photo copy of Notification dated 22/09/1980.	20-21
(c)	ANNEXURE – A/3 Photo copy of Notification dated 08/03/2019.	22-37
(d)	ANNEXURE – A/4 Photocopies of relevant Jamabandi and Google Superimpose map.	38-40
(e)	ANNEXURE – A/5 Photocopy of Complaint dated 25/10/2024.	41-58
(f)	ANNEXURE – A/6 Photocopy of letter dated 12/07/2024.	59-61
(g)	ANNEXURE – A/7 Photocopy of letter dated 24/06/2024.	62-63
(h)	ANNEXURE – A/8 Photocopy of reminder dated 02/12/2024.	64-68
(i)	ANNEXURE – A/9 Relevant Photographs.	69-70
6.	Affidavit in support of documents.	71
7.	Vakalatnaama.	72

COUNSEL FOR THE APPLICANT

[Keishan Sharma]
Adv.
R/895/2000

Hemraj Meena

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

(M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. _____ OF 2024

HEMRAJ MEENA **260**

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS

COMPILATION-1

S.No.	Particulars of Documents	Annexures	Page No.
1	Memorandum of application along with synopsis and chronology of events.		1-16
2	Affidavit		17

PLACE: BHOPAL

DATED: 08/12/24

Counsel for Applicant

(Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy)
Advocates

Add- Chamber No. 178, Old Bldg.,
Rajasthan High Court, Bench Jaipur at
Jaipur (Raj)

E-mail: advocatekrishana@gmail.com

Mob.- 9982765049

Hemraj Meena

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 260 OF 2024

HEMRAJ MEENA
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS
SYNOPSIS

- i. That Applicant had made complaint regarding illegal construction within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary upon Khasra No's 114, 1439/9159, 757, 758, 760, 761, 762, 779, 780 and 781 measuring 2.58 Hectare situated at Village Amer on 25/10/2024 and stated that illegal commercial construction is being raised by private respondents without there being requisite permissions.
- ii. That Subsequent to the Complaint filed by the applicant and being aggrieved with inaction on the part of Respondent, Applicant had also issued a reminder to the respondents on 02/12/2024 but no action has been taken so far in order to get the illegal construction stopped.
- iii. Hence this Original Application.

1/12/2024 R/895/2024
COUNSEL FOR THE APPLICANT

Hemraj Meena

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

(M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. _____ OF 2024

HEMRAJ MEENA **260**

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS

CHRONOLOGICAL EVENTS

S.No.	DATES	EVENTS
1	25/10/2024	That Applicant had made complaint regarding illegal construction within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary upon Khasra No's 114, 1439/9159, 757, 758, 760, 761, 762, 779, 780 and 781 measuring 2.58 Hectare situated at Village Amer on 25/10/2024.
2	02/12/2024	That Subsequent to the Complaint filed by the applicant and being aggrieved with inaction on the part of Respondent, Applicant had also issued a reminder to the respondents on 02/12/2024 but no action has been taken so far in order to get the illegal construction stopped.
3	03/12/2024	Hence being aggrieved with the inaction of respondents this original application is being preferred by him without any delay.

Place: Bhopal

Dated: 03/12/24

Hemraj Meena

Krishan Sharma Counsel for Applicant *Krishan Sharma*
(Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy) Advocates
Add- Chamber No. 178, Old Bldg., Rajasthan High
Court, Bench Jaipur at Jaipur (Raj)
E-mail: advocatekrishana@gmail.com
Mob.- 9982765049

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)
MEMORANDUM OF APPLICATION

[Under Section 18(1) read with sections 14, 15, 16 & 17 of the
National Green Tribunal Act, 2010]

ORIGINAL APPLICATION NO. 260 OF 2024

Between:

Hemraj Meena son of Shri Ramphool Meena, aged about
40 years, resident of 134/20-A Defence Colony, Gurjar
Ghati Amer Road Jaipur, (Rajasthan). (Mobile No.
9672000092) (Email-hemrajmeena8483@gmail.com)

(PIN Code - 302002)

...APPLICANT

VERSUS

1. Union of India through the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email-secy-moef@nic.in).
2. State of Rajasthan through the Additional Chief Secretary of Forests and Wildlife, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat, Jaipur-302005 (Rajasthan). ([Email-nihalchand_goel@yahoo.com](mailto:nihalchand_goel@yahoo.com))
3. The Collector, District Jaipur-302016 (Rajasthan). ([Email-dm-jaip-rj@nic.in](mailto:dm-jaip-rj@nic.in))
4. The Principal Chief Conservator of Forests -cum- Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of Rajasthan, AranyaBhawan, Jhalana Institutional Area,

Hemraj Meena

- JhalanaDoongri, Jaipur-302004 (Rajasthan). (Email-
pccf.cwlv.forest@rajasthan.gov.in).
5. Chief Conservator of Forests (Wildlife), Jaipur, Aranya
Bhawan, Jhalana Institutional Area, JhalanaDoongri,
Jaipur-302004 (Rajasthan). (Email-
ccfwl.jpr.forest@rajasthan.gov.in).
6. Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo Jaipur,
Ramniwas Bagh, Jaipur-302004(Rajasthan). (Email-
dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in)
7. Member Secretary, Rajasthan State pollution control Board,
Jhalana Doongri, Jaipur-302002 (Rajasthan). (Email -
acp.rpcp@rajasthan.gov.in).
8. Member Secretary, National Wildlife Board, Paryavaran
Bhawan, CGO Complex Lodhi Road New Delhi- 110003
(Email-Memsecy-moef@nic.in).
9. Sub Divisional Officer Amer, Tehsil Amer, Gandhi Chowk
Amer Jaipur-302028 (tdramr@gmail.com).
10. Assistant Engineer, E-4, Jaipur Vidhyut Vitran Nigam
Limited, Amer, Jaipur- 302028 ([Email-aene4@gmail.com](mailto:aene4@gmail.com)).
11. Station House Officer, Police Station Amer, Amer Jaipur-
302028 ([Email-psamr@gmail.com](mailto:psamr@gmail.com)).
12. Regional Director (Western Region Jaipur), Central Ground
Water Board, 6-A, Jhalna Doongri, Jaipur - 302004
(Rajasthan) (Email- rdwr-cgwb@nic.in).
13. Assistant Conservator of Forests, Biological Park, Delhi
Jaipur Highway, Jaipur-302028.
(Email-acfbiolgclpark.forest@gov.in).

Hemraj Meena



14. Damodar Prasad S/o Shri Kanhaiya Lal, Address- Near Biological Park, Opposite Zero Restaurant, Jaipur Delhi Highway, Jaipur-302028.
(Email-Damoagarwal202@yahoo.com)

...RESPONDENTS

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The address of the Applicant is as given above for the service of notices of this application and that of his representative. It is submitted that the applicant is a social worker and environmentalist and local resident of Jaipur City (Rajasthan) near the vicinity of Nahargarh Sanctuary Area and he is a wildlife lover and environmentalist who is working for save and protect the wildlife animals as well as environment.
2. The addresses of the Respondents are as given for services of notices of the application.
3. The applicant above-named begs to submit the Memorandum of Application against illegal construction of commercial establishment/resort within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary upon the lands of Khasra No's 114, 1439/9159, 757, 758, 760, 761, 762, 779, 780 and 781 measuring 2.58 Hectare situated at Village Amer and all these Khasras are integral part of Nahargarh Wildlife Sanctuary in view of the map of Nahargarh Wildlife Sanctuary and also falls within Eco Sensitive Zone of

Hemraj Meena

dh

Nahargarh Wildlife Sanctuary further private respondent has not obtained requisite permissions such as recommendations of National Wildlife Board, permission from State Forest Department, Rajasthan State Pollution Control Board and Central Ground Water Authority and the under constructed commercial establishment of Respondent No.14 is surrounded by reserved and dense forest and it is adjoining to Nahargarh Biological Park and Aravalli Range of Hills. Applicant had submitted a complaint first time on 25/10/2024 and narrated the facts and circumstances before responsible authorities and pursuant thereto no action has been taken so far and subsequently applicant had issued a reminder on 02/12/2024 to official respondents through registered post but no action has been taken by responsible authorities hence being aggrieved with inaction on part of Respondents, Applicant is preferring this Original Application on the basis of facts and grounds as under: -

FACTS IN BRIEF WITH GROUNDS:

- 1) That Government of Rajasthan had issued an order under Section 20 of Rajasthan Forest Act, 1953 on 21/11/1961 and acquired the land of Nahargarh Village and Other Villages to be the Reserve Forest with effect from 15/01/1962. It is submitted that as per above order Total 30004.607 Acre land was acquired in order to declare the same as reserve forest and after acquisition of total land,

Hemant S Mehta

ds

same came to be declared reserve forest with effect from 15/01/1962 and It is submitted that land was acquired from the Villages Amer, Manpur Sadva, Vijaymahal, Nahargarh, Bassi Sitarampura, Kishanbagh, Beed Papad, Mahapura/Kukar Kheda, Mayla Bagh, Beed Jaisala, Jaisala, Akeda, Sisiyawas, Bad Gaon, Khairwadi, Kishangarh, Udaipura, Laxmi Narayanpura, Bhadana, Chak-maanpura, Shivdaspura, Daulatpura, Bagwada, Seengwana, Kachrawala, Chaapradi, Jaitpura, Achrol, Barni/Varni, Labana, Gunawata, Dhand, Harwar, Khuraad, Chimanpura, Kukas, Nestiwas and Beed Kaleda and All these villages jointly designated as Vankhand Amer (Forest Block Amer) 54. The Photocopy of the order dated 21/11/1961 is enclosed herewith and marked as **Annexure-A/1**.

- 2) That Government of Rajasthan had further issued a notification No.F-11(39) Rajasthan 8/80 on 22/09/1980 under Section 18 of Wildlife Protection Act, 1972 by which the reserve forest declared by Order dated 21/11/1961, has further declared to be Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that at the time of issuance of notification dated 22/09/1980 the Boundaries of Sanctuary got decided. The Photocopy of the Order dated 22/09/1980 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/2**.
- 3) That Govt. of India has also issued a gazette notification on 08/03/2019 by which the Eco- Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary got declared. It is also submitted that Eco- Sensitive Zone shall be from 0-13 Kms. around the

Manoj Kumar

[Signature]

Sanctuary Boundaires of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is also submitted that by the way of notification dated 08/03/2019, some essential activities for local residents were allowed and rest of the commercial activities were prohibited. It is submitted that the bare perusal of the notification dated 08/03/2019 goes to reveal that there are three classes of activities mentioned therein, the A Clause is about Prohibited Activities, B Clause is about Regulated Activities and C Clause is about Promoted Activities. It is submitted that the perusal of the notification of Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary would reveal that No new Hotels and Resorts shall be permitted within one kilometer of protected area or up-to the Eco Sensitive Zone, whichever is earlier and the under constructed commercial establishment/resort is falling within the boundaries of the Nahargarh Wildlife Sanctuary and Eco Sensitive Zone and as such no authority has been obtained National Wildlife Board for construction and operation of commercial establishment/resort within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary or its Eco Sensitive Zone. The Photocopy of the Notification dated 08/03/2019 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/3**.

- 4) That Khasra No's 114, 1439/9159, 757, 758, 760, 761, 762, 779, 780 and 781 measuring 2.58 Hectare situated at Village Amer have been recorded in the name of Private Respondent No.14, however falls within the boundaries of

Hemraj Meena

[Signature]

Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone and the under constructed commercial establishment/resort is adjoining to reserved forest land and Nahargarh Biological Park and construction is being raised at the foothills of Aravali Range of Hills. The Photocopies of relevant Jamabandi and Google Superimpose map are annexed herewith and marked as **Annexure-A/4 Collectively.**

- 5) That Applicant has got information about illegal construction of commercial establishment/resort within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone and after that he inquired about the matter and made complaint to the official respondents on 25/10/2024 and stated that Khasra No's 114, 1439/9159, 757, 758, 760, 761, 762, 779, 780 and 781 measuring 2.58 Hectare situated at Village Amer have been recorded in the name of Private Respondent No.14, however falls within the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone and private respondents is raising constructing within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone without there being authority from National Wildlife Board and State Forest Department. He further stated that private respondent has not obtained Consent to Establish and Consent to Operate under the provisions of Water Act, 1974 and Air Act, 1981 and it has also been stated that private respondent is abstracting the ground water for commercial purposes by the way of bore-wells

Hemraj Meena

[Signature]

without having any authority from Central Ground Water Authority. He also stated that private respondent is raising construction within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone and said under constructed commercial establishment is situated just adjoining to Nahargarh Biological Park and thus same is also derogatory and dangerous for the Environment and Wildlife of Nahargarh Biological Park and the heavy machineries are being used during the course of construction by which huge disturbance is being caused to Environment and Wildlife. Applicant further stated that private respondent is raising construction in foothills of Aravali Range of Hills, which is in addition violation of the guidelines of the State Government for protection of Aravali Range of Hills and Environment and he also states that no conversion of land for commercial purposes is permitted within the periphery of Wildlife Sanctuaries/National Parks as in said case Section 20 of Wildlife Protection Act, 1972 would into play and apart from Wildlife Sanctuaries and National Parks the construction of new hotels and resorts is prohibited activity under the notification of Eco Sensitive Zone (**Point No. B and Serial No.12 of ESZ Notification**) and ultimately applicant had prayed for strict action against the culprits. The Photocopy of Complaint dated 25/10/2024 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/5**.

- 6) That Additional Chief Secretary of Forest Department, Government of Rajasthan vide letter dated 12/07/2024 had

Hemraj Meena

AK

directed the responsible authorities to make ensure compliance of the guidelines of Hon'ble Apex Court, Rajasthan High Court and Central Government relating to Wildlife Clearance and commercial activities within Sanctuaries/National Parks/reserved forest and their Eco Sensitive Zones. It has further been directed that no authority shall permit the construction/operation of commercial establishments and other prohibited activities unless and until requisite permissions are received but herein present case the responsible forest officers are not following the directions given by Additional Chief Secretary (Forests) of the State and watching the illegal construction with their naked eyes and they are impliedly giving their consent in these illegal affairs which are damaging the environment and the Additional Chief Secretary had issued the directions on the basis of Judgments of Hon'ble Apex Court so the non-adherence of these guidelines would tantamount to non-compliance of guidelines of Hon'ble Apex Court. The Photocopy of letter dated 12/07/2024 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/6**.

- 7) That National Wildlife Board had rejected the proposal of One Hotel situated at the distance of 95 meters from boundary of Nahargarh Wildlife Board and same was part of Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary and National Board had relied upon the Notification of Eco Sensitive Zone and observed that no new hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from

Hemraj Meena

dk

protected area or up-to the Eco Sensitive Zone whichever is earlier and the monitoring committee of Eco Sensitive Zone had also ordered for compliance of recommendations given by National Wildlife Board vide letter dated 24/06/2024 and the impugned under-constructed commercial establishment is within the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuaries therefore the construction of commercial nature cannot be permitted within the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary or its Eco Sensitive Zone without receipt of requisite permissions referred to in instant O.A. The Photocopy of letter dated 24/06/2024 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/7**.

- 8) That the conversion of the land for commercial purposes cannot be permitted in National Parks/Wildlife Sanctuaries as same is hit by Section 20 of Wildlife Protection Act, 1972 and Revenue Authorities would be responsible for violations of Section 20 of Wildlife Protection Act, 1972 as they cannot permit the conversion and on another hand if any commercial establishment is being developed/constructed without conversion of land for commercial purposes then same would give rise to another violation.
- 9) That the Police Authorities are also acting in moribund condition when comes to initiation of criminal proceedings against the culprits in the case of violations of Environmental Law hence directions are inevitable to be issued to Police Authorities for taking appropriate action in case of Violations of Environmental Law.

Hemraj Meena

ak

- 10) That the JVVNL are not in possession of any guidelines qua issuance of electricity connection for commercial purposes in National Parks/Wildlife Sanctuaries and the electricity connections for commercial purposes are being issued in causal manner without seeking any comments from State Forest department and as such JVVNL is directly encouraging the commercial and non-forest activities within Nahargarh Wildlife Sanctuary and as such the conduct of JVVNL is against the very scheme of Forest Laws and Guidelines of Hon'ble Apex Court.
- 11) That Applicant had served upon reminder to responsible authorities of State Government on 02/12/2024 but no action has been taken so far in order to get the illegal construction stopped. The Photocopy of reminder dated 02/12/2024 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/8**.
- 12) That the impugned construction is being raised at the foothills of Aravalli Range of Hills and within the periphery of Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary and there would be strong chances to damage of Aravalli Range of Hills if these types of illegal activities will be allowed to be permitted in Aravalli Range of Hills and within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone. The Relevant Photographs are annexed herewith and marked as **Annexure-A/9 Collectively**.
- 13) That the humble applicant craves leave of this Hon'ble Tribunal to raise additional facts and grounds, alter and

Handwritten signature

Handwritten mark

modified the same after filing the present Original Application with prior permission to the Hon'ble Tribunal.

LIMITATION:-

- 14) That Applicant had submitted complaint to State Authorities on 25/10/2024 and prayed for strict action against the culprits and he also issued reminder on 02/12/2024 to responsible authorities of State Government but no action has been taken so far in order to get the construction stopped and thus there is no delay in filling this original application and the cause of action is continuous in nature, as such the present original application is well within the limitation.

PRAYER

It is, most respectfully prayed that this Original Application may kindly be allowed and the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass following directions and orders:-

- (i) By an appropriate order or direction, the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to issue the appropriate directions to respondents as to stoppage of illegal and non-forest activities and illegal construction which is being carried on by Private Respondent upon Khasra No's 114, 1439/9159, 757, 758, 760, 761, 762, 779, 780 and 781 measuring 2.58 Hectare situated at Village Amer within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary and existing non-forest activities be defenestrated forthwith.

Hemraj Meena

de

(ii) This Hon'ble Tribunal be pleased to demolish illegal construction already raised in absence of requisite permissions with immediate effect, which is violation of rules of Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone in the interest of Justice.

(iii) Private Respondent be further directed not to raise further construction upon disputed land unless and until the requisite permissions are received.

(iv) Forest officials and Police Authorities be directed to initiate appropriate criminal proceedings against erring respondents for their wrong deeds which are contrary to strict forest laws.

(v) Respondents be further directed to impose heavy environmental compensation upon the culprits.

(vi) JVVNL be directed to disconnect the commercial electricity connection issued in the favour of private respondent and JVVNL be further directed not to issue any electricity connection of commercial nature in Nahargarh Wildlife Sanctuary without seeking comments and no objection from Forest Department.

(vii) Respondents be further directed to ensure that no further construction and other activities will be operated upon disputed land and within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary without obtainment of requisite permissions.

(viii) This Hon'ble Tribunal is further pleased to impose heavy penalty upon the culprits.

(ix) this Hon'ble Tribunal may kindly be please to take appropriate action against the responsible officers and imposed heavy penalties against the officers/officials who have failed to discharge their official duties

(x) Pass any other order and direction which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.

(xi) The costs of the litigation may kindly be awarded to the applicant.

Hemraj Meena

Filed by Applicant

dt. 03/12/24

Idr Through his Counsel: *aid*
Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy




VERIFICATION

I, Hemraj Meena son of Shri Ramphool Meena, aged about 40 years, resident of 134/20-A Defence Colony, Gurjar Ghati Amer Road Jaipur, (Rajasthan), do hereby state on oath and verify that the contents of my above application are true and correct to the best of my knowledge, belief and legal advice and nothing material has been concealed therein and no part of it is false. So help me God.

Jaipur

Dated - 03/12/24

Identified by




Deponent

ATTESTED

- 3 DEC 2024

NOTARY PUBLIC JAIPUR
 (RAJ) INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 260 OF 2024

HEMRAJ MEENA
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS



AFFIDAVIT IN SUPPORT OF ORIGINAL APPLICATION

I, Hemraj Meena son of Shri Ramphool Meena, aged about 40 years, resident of 134/20-A Defence Colony, Gurjar Ghati Amer Road Jaipur, (Rajasthan), do hereby take oath and state as under:-

1. That I am applicant in this case and am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That averments of facts and ground of the annexed Original Application are true and correct, which I believe to be true and correct on the basis of my personal knowledge.

Identified by
[Signature]

Hemraj Meena

DEPONENT

VERIFICATION

I, above named deponent, do hereby verify that contents of para no.1 to 2 of the above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

ATTESTED

- 3 DEC 2024

NOTARY PUBLIC JAIPUR
(RAJ.) INDIA

Hemraj Meena

DEPONENT

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

(M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 260 OF 2024

HEMRAJ MEENA

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS

COMPILATION-2

1.	List of documents		
(a)	Photo copy of order dated 21/11/1961.	Annexure-A/1	18-19
(b)	Photo copy of Notification dated 22/09/1980.	Annexure-A/2	20-21
(c)	Photo copy of Notification dated 08/03/2019.	Annexure -A/3	22-37
(d)	Photocopies of relevant Jamabandis and Google Superimpose map.	Annexure-A/4	38-40
(e)	Photocopy of Complaint dated 25/10/2024.	Annexure-A/5	41-58
(f)	Photocopy of letter dated 12/07/2024.	Annexure-A/6	59-61
(g)	Photocopy of letter dated 24/06/2024.	Annexure-A/7	62-63
(h)	Photocopy of reminder dated 02/12/2024.	Annexure-A/8	64-68
(i)	Relevant Photographs.	Annexure-A/9	69-70
2	Affidavit in support of documents		71
3	Vakalatnama		72

PLACE: BHOPAL

DATED: 03/12/24

Hemraj Meena

Krishan Sharma

Counsel for Applicant

(Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy) Advocates
Add- Chamber No. 178, Old Bldg., Raj High
Court, Bench Jaipur at Jaipur (Raj).

Annex A/1

~~Annex A/2~~

पत्र 'ब'
वि. नं. १५८
(भाग २० के अधीन)

दिनांक- २५-०५-६९

संख्या १५८/१९६९/२० के अधीन भूमि विभाजन दिनांक २५-०५-६९ द्वारा की गई भूमि की संख्या २५ के अधीन, १९६९ के अधीन आनुवंशिक रूप से विभाजित की जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और भूमि का भूमिदाता पर अधिकारों को ध्यान में रखा गया, यदि हाँ, निश्चयी नहीं है।

और भूमि उपयुक्त अधिवासों पर धारित व लॉ के विरुद्ध अपील करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अधि में सुनवाई नहीं की गई अपील निश्चयी नहीं है।

और भूमि बरखादित रूप में प्रस्तावित किया जाने के लिये आवश्यक की गई समस्त भूमियाँ, यदि हाँ, अधिवास अधिनियम का अनुसंधान के अधीन लक्ष्य में निहित हो गई है।

राजस्थान अधिनियम, १९६९
अनुच्छेद २ के अधीन २० द्वारा उक्त शक्तियों के अधीन में राज्य सरकार उक्त भूमि को विभाजित करने में सक्षम रहने को आशंकित वर प्राप्ति करती है जो उक्त अधिनियम के अधीन है जो किने लिये गए अधि-संकेत-संकेत-संकेत-संकेत। उक्त अधिकारों की संश्लेषण सूची, (१) में उल्लिखित सीमा तक रहते रहेंगे। अन्य-सूचना-कली-पावें। संश्लेषण सूची, (२) में उल्लिखित सीमा तक ऐसे मामलों में, उक्त वर्तों के ऐसे मामलों में तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय २ पर नियमित किए जावें, अनुसंधान का उपयोग करें।

राजस्थान अधिनियम के तहत प्रमाणित
अंश प्रति

राजस्थान की राजा के,
शासन सचिव।

सूची का विवरण

क्रमांक	जिला	तहसील	बन-सह का नाम	नाम	सूची के क्रमांक	विशेष विवरण
१	जयपुर	जयपुर	नाम ५४		५४-१६१	सीमा विवरण का
२	जयपुर			राजपुर नाम	५४-१६२	सीमा विवरण के अनुसार है
३	जयपुर			सिद्धपुर नाम	५४-१६४	
४	जयपुर			जयपुर नाम	५४-१६५	



(क)- इस वन ब्लॉक में निम्न पहाड़ियों का रास्ते होकर जाते हैं, उन पर वाशिंग्टन को बाने-बाने का ब्यवहार है :-

रास्ता	सुनीनारायण पुरा के	सुनीयावास	दोक्तपुरा	कुमानतः १ मील ४ फीट
"	कडा गांव	"	"	कुमानतः ३ मील सन्धी ६ फीट बाँधी
पहाड़ी	खाना	"	"	"
"	गुनावला	"	"	"
"	कानपुरिया	"	"	"
"	नटाट	"	"	"
"	बापौडी	"	"	"
"	कानपुरिया	"	"	"
"	हरवा	"	"	"
"	ठण्ड	"	"	"
रास्ता	खेवारापुरा	"	"	"
"	दोक्तपुरा	"	"	"
"	मास्तावास	"	"	"
सड़क	नाहरनद	"	"	"
रास्ता	बीठ पापठ	"	"	"
पहाड़ी	कबरोत	"	"	"
"	कवाडा	"	"	"

(ख)- इस वन ब्लॉक में निम्न देवस्थान हैं, जहाँ वाशिंग्टन को दर्जनायें बाने बाने का ब्यवहार है :-

मौमियाबी - छेवार्ह मरतरी (मैला बेराह व माकपला में मरता है)
 सलो का देवरा - देवीधो - कुंड छापो का - गणेशबी - बरण मोटा
 रावैरवीबी - पीर का स्थान - धर्मानाथ मेरुबी - नरसिंह कुबे -
 सीतारामबी - राधाकुण्ड - हनुमानबी - महादेवबी - गणेशबी -
 चावण्डा मरताबी - योगेश्वरबी ।

(ग)- इस वन-ब्लॉक में मवेशी के पानी पीने के स्थान हैं, जहाँ वाशिंग्टन की मवेशी, जो काल में बरने जाती है, पानी पीती है :-

सपग तलाह - पीसी - हीलावाली - नमुआली - किरा - पांडियावासी -
 छेवार्ह - छेलावाली - पन्नावासी - नवेलार्ह - धोपी रावसागर - नला
 बीठ बडे पापठ - सागर (गोटा, कडा) कुण्डोलाव - कापोलाव - बडी तलाह -
 कोठियां (दोक्तपुरा कवाडा) ।

(घ)- इस वन ब्लॉक में निम्न प्राणियों के स्थान और किले बन्दर हैं :-

कनैनारायण पुरा - डोगवाना - बीठ पापठ - कवाडा - नाहरनद -
 कबरोत - कबरोत ।

एन सी प्रोटेक्शन के तहत प्रमाणित



प्रपत्र 'जे'
विज्ञप्ति
(धारा 20 के अधीन)

T.C. 89, 95-76
18-19
35A

दिनांक 21.11.61

संख्या एफ.7(28)रा.क./61 चूंकि विज्ञप्ति दिनांक 15.10.47 द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि की जयपुर वन अधिनियम, 1939 के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधिचानचाएँ यदि हों, निबटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधिचानाओं पर पारित व आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एक्ट की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक 15.01.62 से प्रभाव रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव कोई अधिकार नहीं रखेंगे। उक्त अधिकारों की संक्षिप्त सूची (1) में उल्लिखित सीमा तक रखते रहेंगे और अनुदान नहीं पावेंगे। संक्षिप्त सूची (2) में उल्लिखित सीमा तक ऐसे मौसमों में, उक्त वनों के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय 2 पर निर्धारित किये जावें, अनुदानों का उपयोग करेंगे।

~~F-198-75-76~~
3F-B T.C. Pg. 18-19

राज्यपाल की आज्ञा से
शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	बन-खंड का नाम	मौजा	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
जयपुर	जयपुर	आमेर 54	आमेर	4411-531	सीमा विवरण का परिशिष्ट अ संलग्न है
	आमेर		मानपुर सडवा	157-125	
	जमवारामगढ		विजय नहर	81-344	
			नाहरगढ	2152-406	
			बस्सी सीतारामपुरा	276-875	
			किशनबाग	363-531	

प्रकाश त्यागी
27.6.60

T. C. Pg. 75/18-19
36A

(क) इस वन खण्ड में निम्न पगडण्डियां व रास्ते होकर जाते हैं, हम पर वाशिन्दगान को आने-जाने का अधिकार है:-

रास्ता लक्ष्मीनारायणपुरा से लुनियावास दौलतपुरा अनुमानतः 1 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

रास्ता सींगवाना से कूकस अनुमानतः 3 मील लम्बी 9 फीट चौड़ी

रास्ता शिष्यावास से आमेर अनुमानतः 4 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

रास्ता बडा गांव से कूकस खोरा अनुमानतः 4 मील लम्बी 9 फीट चौड़ी

रास्ता बडा गांव से रामसागर अनुमानतः 1 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

पगडण्डी लवाना से जैतपुरा अनुमानतः 1 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी गुनावता से खापरेडी अनुमानतः 2 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी घमनपुरिया से सुराड अनुमानतः 1 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी नटाट से मस्तीवास व जंगल अनुमानतः 1 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी लापरैडी से कूकस गुनावता अनुमानतः 3 मील लम्बी 8 फीट चौड़ी

पगडण्डी अखैपुरिया से लुनियावास दौलतपुरा अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

पगडण्डी हरवर से कचरावाला अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

पगडण्डी ढण्ड से सींगदावा अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

रास्ता सेवारामपुरा से मन्दराली चौकी अनुमानतः 1 मील लम्बी 9 फीट चौड़ी

रास्ता दौलतपुरा से बडागांव कूकस अनुमानतः 6 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

रास्ता माहलावास से जैसला बडागांव अनुमानतः 6 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

सडक नाहरगढ से आमेर अनुमानतः 2 मील लम्बी 20 फीट चौड़ी

रास्ता बीड पापड से मंदराली चौकी अनुमानतः 5 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

पगडण्डी अचरोल से नवाना गुनावता अनुमानतः 2 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

पगडण्डी बगवाडा से कचरावाला अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

(ख) इस वन खण्ड में निम्न देवस्थान हैं, जहां वाशिन्दगान को दर्शनार्थ आने जाने का अधिकार है:-

भोगियाजी - सैडमाई भरतरी (मेला बैसाख व भाद्रपद में भरता है)

~~T.C. Pg. 15-16~~
36 B T.C. Pg. 18-19

सती का देवरा - देवीजी - कुंड सासों का - गणेशजी - चरण मंदिर
राजेश्वरीजी - पीर का स्थान - हर्षनाथ भैरुजी - नरसिंह बुर्ज-
सीतारामजी- राधाकुण्ड-अनुमानजी - महादेवजी - मणेशजी -
जावण्डा माताजी - जोगेश्वरजी।

(ग) इस वन खण्ड में मवेशी के पानी पीने के स्थान हैं, जहां बाशिन्दगान की मवेशी, जो जंगल में चरने जाती हैं, पानी पीती हैं :-

लक्ष्मण तलाई - पीली - छीलावाली - पादुकाली ' निझरा - मोडियावाली
सेडालाई - शेलालवाली - पन्नावाली - नडेतलाई - बांदी रामसागर - नला
बीड की पापड - सागर (छोटा-बडा) कुण्डोलाव - काचोलाव - बडी तलाई
कोठियां (दोलतपुरा बगवाडा)।

(घ) इस वन खण्ड में निम्न ग्रामों कमे शमशान और किले अन्दर हैं:-

लक्ष्मीनारायण पुरा - सींगवाना - बीड पापड - बगवाडा - नाहरगढ -
भावगढ - अचरोल

Annex A/2 (20)

~~Annex A/2~~

राजस्थान सरकार
राजस्थान-0/विभाग

संसाधन/एफ 11/39/राज-0/00 जयपुर, दिनांक 22 फरवरी, 1980

अपि-पूना

वन्ध जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972 का अनुच्छेद
अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार अधिनियम संख्या 53/1972
की अधिनियम संख्या 50/1972 का अंश 1(1) के अन्तर्गत
। सितम्बर 1973 के राजस्थान राजपत्र में नाम देखा जा चुका है, जो अंश
10 के उपबन्धों के अधीन राजस्थान राज्य अधिनियम में वर्णित सीमाओं
के अन्तर्गत होने वाली जिले की भूमियों का, उनकी परिस्थिति व
प्रतिष्ठाता, तान्त्रिकीय, पुनर्स्थापना, संरक्षण-वैशेषिक एवं प्राणी संरक्षण
व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पत्र द्वारा वन्ध जीव संरक्षण अधिनियम
अधीन है, जिसे अधिनियम में नालरगढ़ वन्ध जीव संरक्षण के नाम से जाना
जायेगा अतः जो वन्ध अधिनियम या तरदीने बनाये गये नियमों या जारी
जिसे गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा ।

व्यवस्था

नालरगढ़ वन्ध जीव संरक्षण की सीमाओं का विवरण:-

अधिनियम 1972 की धारा 18-2।

सीमा विवरण नालरगढ़ वन्ध जीव संरक्षण

उत्तरा- वन्ध जीव संरक्षण के नाम से ग्राम राजस्थान की उत्तरी सीमा तक
ग्राम कृष्ण का वन क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत वन क्षेत्र ग्राम दोतलपुरा
उत्तरा नम्बरान 1090 व 1091 व. ग्राम कृष्ण उत्तरा नम्बरान
4, 5, 6, व 7 का उत्तरी भाग ।
वन सीमा नालरगढ़ अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान क्षेत्र ग्राम कृष्ण उत्तरा
आगेर, आवादी आगेर गांवडा, आगेर शैली रोड व राजस्थान क्षेत्र
ग्राम नालरगढ़ ।

दक्षिण- वन सीमा नालरगढ़ अधिनियम के अन्तर्गत आवादी कृष्ण उत्तरा व इरानो बरती ।
पूर्व- नालरगढ़ का नाम आवादी क्षेत्र व राजस्थान क्षेत्र ग्राम कृष्ण उत्तरा
की उत्तरी सीमा व नालरगढ़ अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान क्षेत्र
व. क. गंगा नालरगढ़ अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान क्षेत्र ग्राम कृष्ण उत्तरा

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
किया जाता है
स. लो. सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक विडियाघर, जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

स. लो. सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक विडियाघर, जयपुर



(21)

प्रतिनिधि सूचना एवं आचार्य का प्रस्ताव...
राजस्थान के राजस्थान विधान सभा, जयपुर
को अगले राजपत्र में प्रकाशनाार्थ
प्रेषित है।

(44)
(513)
(38)

राजस्थान के राजस्थान विधान सभा, जयपुर
को अगले राजपत्र में प्रकाशनाार्थ
प्रेषित है।

- प्रतिनिधि सूचना एवं आचार्य का प्रस्ताव...
प्रेषित है:-
- 1- सचिव, राजस्थान महीदय, राजस्थान, जयपुर।
 - 2- सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - 3- सभ्यता निदेशी, राजस्थान, जयपुर।
 - 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
 - 5- सभ्यता शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
 - 6- मुख्य वक्ता, राजस्थान, जयपुर।
 - 7- मुख्य सचिव, प्रतिनिधि, राजस्थान, जयपुर।
 - 8- जिनाधीन, जयपुर।
 - 9- कार्यालय एवं प्रशासनिक सुपर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - 10- सचिव, जयपुर।

राजस्थान सचिव

- प्रतिनिधि सूचना एवं आचार्य का प्रस्ताव...
प्रेषित है:-
- 1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
 - 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
 - 3- सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

राजस्थान सचिव

प्रतिनिधि सूचना एवं आचार्य का प्रस्ताव...
प्रेषित है।

राजस्थान सचिव

एमपी 0 नंबर 21-5-80

राजस्थान के राजस्थान विधान सभा, जयपुर

को अगले राजपत्र में प्रकाशनाार्थ
प्रेषित है।

राजस्थान के तहत प्रमाणित
कोटे प्रति
सहायक अधिकारी
राजस्थान विधानसभा, जयपुर



सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
कोटे प्रति
सहायक अधिकारी
राजस्थान विधानसभा, जयपुर

T.C. Pg. 77-78
20-21

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक/एफ11(39) राज-8/80

जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1980

अधि-सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1) 72 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प011014/3/12 एफ.आर. आई./डब्ल्यू.एल. एफ. दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को उनकी परिस्थिति व महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदक्षीन बनाये गये नियमों से जारी किये गये ओदशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरण:-

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

सीमा विवरण नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य

उत्तर- वनक्षेत्र बीड़ तालेड़ा व ग्राम पापड़ की उत्तरी सीमाओं तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र सीमावर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1090 व 1091 ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4,5,6 व 7 का उत्तरी भाग।

पूर्व- वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस, खुराड, चिमनपुरा, आमेर, आबादी आमेर आबादी आमंर मांवठा, आमेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ।

दक्षिण- वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी ब्रह्मपुरी व पुरानी बरती।

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

फोटो प्रति

Lu

राजस्थान सरकार

सहायक वन सार्वजनिक विडियाघर, जयपुर

Trc Pg. 77-78
20-21

पश्चिमी- नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग, वीड पापड़ व नाला, अमानीशाह से पश्चिम विशकर्मा, औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाइन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र जेसला, आकेड़ा, शिर्यावास्त, यड़ा गॉव माडिया व समीपवर्ती क्षेत्र यड़ा गॉव माडिया खसरा नम्बर 02-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सीमा वन क्षेत्र तोलेडा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1092-93

राज्यपाल के आदेश पे

(एम0एस0 सिधवा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
8. जिलाधीश जयपुर
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक अनुभाग- को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित।
10. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

उप शासन सचिव

एम0पी0 बैरवा/21.09.80

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
कोटे प्रति
सहायक वन संरक्षक
अधिकारी
त्रिडियाधर, जयपुर

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दाखिल की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O.1220(E).—WHEREAS, a draft notification was re-notified and published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2995 (E), dated the 11th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Nahargarh Wildlife Sanctuary is lying between latitudes 26°56'15.08"N & 26°57'5.81"N and longitudes 75°48'55.70"E & 75°46'54.65"E. The Sanctuary was notified *vide* Government of Rajasthan notification No. F11 (39) Revenue/8/80 of dated the 22nd September, 1980. The sanctuary is situated in the Aravalli ranges at Amber hills, Jaipur district of Rajasthan and is spread over an area of 52.40 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has "Tropical Dry Deciduous Forest" and "Tropical Thorn Forest" as per classification of Champion and Seth. The forest is spread over the area on various geological and soil formations over the hilly terrain of Aravallis and hence varies in composition;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a variety of habitats for diversified flora and major flora of this sanctuary includes salar (*Boswellia serrata*), gurjan (*Linnaea gradis*), tendu (*Dispyros melanoxylon*), karaya (*Sterculia urens*), gugal (*Commiphora mukul*), amaltas (*Cassia fistula*), awanla (*Embellica officinalis*), binnas (*Hesparathusa cranulata*), um (*Seccopetalum tomentosa*), goya khir (*Dishrostachya cineria*), sainja (*Maringa pterygosperma*), dhak (*Butea monosperma*), rahan (*Soydmida febriguga*), mokha (*Scherebra swetenoides*), rohini (*Mallatus*

philipnensis), ber (*Zizphus jujuba*), jamun (*Syzyguim cumini*), gular (*Ficus glomerata*), kadam (*Mitragyna parvifolia*), bahira (*Terminalia bellerica*), dhaora (*Anogeissus latifolia*), kahjur (*Phoenix syvestris*), hingot (*Balanites aegyptica*), khair (*Acacia catechu*), sevan (*Gmelia arborea*), arjun (*Terminalia arjuna*), neem (*Azadirachta indica*), peepal (*Ficus religiosa*), bargad (*Ficus benghalensis*), shiham (*Dalbergia sissoo*), bijasal (*Pterocarpus marsupium*), kakon (*Flacourita indica*), kharini (*Wrightia tinctoria*), dudhi (*Wrightia tomentosa*), jhinjha (*Bauhinia recemosa*), casaeria (*Casaeria tomentosa*), barn (*Creataeva relegiosa*), bel (*Aegle marmelose*), ronj (*Acacia marmelose*), lisora (*Cordia myxa*), churel (*Holoptelia intergrifoila*), aam (*Mangifera andica*), imli (*Tamarindus indica*), kaith (*Limonia acidissima*), siris (*Albizzia lebbek*), semal (*Bombaz ceriba*), cleastrus (*Cleastrus paniculates*), etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary has variety of habitats for diversified fauna. Fish species recorded from of this Sanctuary includes catal (*Catla catla*), greyei (*Channa marulius*), lanchi (*Walago attu*), mahseer (*Tor tor*), mirgal (*Cirrhinus mrigala*), roho (*Labeo rohita*), savank (*Channa punctatus*), seenghari (*Mystus seenghala*). Apart from fishes, the common Indian toad (*Bufo melanostictus*), common frog (*Rana tigerina*), banded krait (*Bugorus fasciatus*), cobra (*Naja naja*), common krait (*Bungarus caeruleus*), fresh water swamp crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian python (*Python molurus*), north Indian flap shelled turtle (*Lissemys punctata punctata*), rat snake (*Ptyas mucosus*), leopard (*Panthera pardus*), etc. the main fauna of the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0 (zero) to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary, in Jaipur district of Rajasthan as Eco-Sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.**— (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of **0 (zero) to 13 kilometers** around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is **79.356 square kilometres**. Zero extent is towards the sides with heavy urbanization.
 - (2) The boundary description of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Nahargarh Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, and **Annexure-IIB**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III**.
 - (5) The lists of village falling in the Sanctuary and proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points are appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.**— (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Revenue,
- (vi) Agriculture,
- (vii) Rural Development,
- (viii) Irrigation and Flood Control,
- (ix) Municipal,
- (x) Panchayati Raj,
- (xi) Public Works Department, and
- (xii) Rajasthan State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;
- (v) rainwater harvesting; and
- (vi) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under.-
- (a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.**— The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.**— All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972, (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
11.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.

		<p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.

26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Bio-Medical Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
32.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
33.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
C. Promoted Activities		
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
40.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
45.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the

Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jaipur	Chairman, ex officio;
2.	Sub Divisional Officer, Amer	Member;
3.	A representative of non-governmental organisation or working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years	Member;
4.	One expert in Ecology and Environment from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years.	Member;
5.	Honorary wildlife warden, Jaipur	Member;
6.	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board	Member;
7.	Mayor, Jaipur Municipal Corporation	Member;
8.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	Member;
9.	Member of the State Biodiversity Board	Member;
10.	Deputy Conservator of Forest/Wildlife, Jaipur	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/60/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

In order to delineate boundaries of Eco-Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary all field structures, habitations, water bodies, Industrial areas, religious places and other public institutes as provided by the revenue authorities have been marked on the map annexed with this notification. Geographical Positioning System (GPS) have been marked on the Sanctuary boundaries, which are numbered from 1 to 100 on the map. Then the boundaries of Eco-Sensitive Zone have also been marked on the same map and its Geographical Positioning System points have also marked on the boundary and numbered as 101 to 336. This map is annexed as Annexure-II. The boundary of Eco-Sensitive Zone is decided as indicated by the Geographical Positioning System points shown on this map as under:

Northern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position point number 186 marked on reserve forest block boundary Amer-54 and Eco-Sensitive Zone boundary including villages Bagwara, Singwana, Chhapradi, Jaitpura Khinchi, Achrol, Ani, Labana, Gunawata, Dhandh, Harbar to Kukas to Global Position System point number 270 will be up to 13 kilometers. Eco Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 186 to 270 is co-terminus with the boundary of reserve forest block Amer-54 and will include the whole reserve forest in the Eco-Sensitive Zone within these Global Position System points.

Eastern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position System point number 270 to 280 will be Reserve forest block boundary, from Global Position System point number 280 to 281 will be along National Highway No. 8(Now NH-11-C), from Global Position System point number 281 to 295 will be 100 meters to 500 meters from sanctuary boundary. Similarly, the boundary along NH 8(Now 11 C) from Global Position System point 295 to 297 will be Eco Sensitive Zone. Reserve forest block boundary from GPS point number 297 to 320 will be Eco-Sensitive Zone limit. Sanctuary boundary from Global Position System point number 320 to 325 will be Eco Sensitive Zone limit including Rajamal ka talab. The extent of Eco Sensitive Zone from Global Position System point number 297 to 325 will be from 100 meters to 2.0 kilometers.


Southern boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 325 to 336 and up to 101 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 101 to 104 it will be co-terminus with the boundary of reserve forest Block Amer -54. From GPS point number 104 to 108 it will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 108 to 147 it will run along the natural boundary (flow as well as bed area up to both banks) of Amanishah Nallah.

Western boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 147 to 160 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point

number 160 to 186 it will be 50 meters to 2 kilometers including Bahav sagar, Akhepura, Badagaov, Bhatiya, Bishangarh Areas.


ANNEXURE-IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°47'22.26"E	26°58'15.90"N
2	E02	75°48'0.42"E	26°59'52.80"N
3	E03	75°49'17.10"E	27° 0'44.70"N
4	E04	75°50'26.10"E	27° 2'27.36"N
5	E05	75°52'27.78"E	27° 2'42.42"N
6	E06	75°53'9.90"E	27° 1'46.92"N
7	E07	75°52'28.38"E	26°59'29.76"N
8	E08	75°51'22.56"E	26°59'9.90"N
9	E09	75°50'30.78"E	26°57'21.54"N
10	E10	75°48'40.80"E	26°56'2.40"N
11	E11	75°48'7.62"E	26°57'13.68"N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°49'5.16"E	27° 1'16.50"N
2	E02	75°49'42.06"E	27° 3'12.42"N
3	E03	75°51'3.42"E	27° 3'58.98"N
4	E04	75°51'18.48"E	27° 4'43.20"N
5	E05	75°52'32.70"E	27° 5'50.52"N
6	E06	75°53'56.40"E	27° 6'51.30"N
7	E07	75°54'47.52"E	27° 3'33.66"N
8	E08	75°56'44.58"E	27° 8'17.22"N
9	E09	75°57'37.56"E	27° 6'40.56"N
10	E10	75°56'5.70"E	27° 6'19.50"N
11	E11	75°55'20.28"E	27° 4'55.74"N
12	E12	75°54'1.20"E	27° 2'34.56"N
13	E13	75°53'7.32"E	26°59'18.30"N
14	E14	75°52'14.04"E	26°57'45.00"N
15	E15	75°51'5.28"E	26°57'14.58"N
16	E16	75°48'46.32"E	26°55'54.78"N
17	E17	75°46'54.48"E	26°56'23.04"N

18	E18	75°47'49.80"E	26°57'34.14"N
19	E19	75°47'32.52"E	26°59'29.76"N

ANNEXURE-IV

LISTS OF VILLAGES COMING UNDER NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Villages in the Sanctuary	Latitude	Longitude
1	Nahargarh	26°56'15.08"N	75°48'55.70"E
2	Amer	26°59'8.19"N	75°51'4.82"E
3	Chimanpura	27° 1'23.51"N	75°54'4.74"E
4	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
5	Nestiwas	27° 1'39.28"N	75°52'25.41"E
6	Khurad	27° 2'4.37"N	75°53'7.23"E
7	Taleda	27° 2'41.57"N	75°52'25.42"E
8	Badagaon Jarkhya	27° 2'14.47"N	75°51'22.67"E
9	Sisiyawas	27° 0'37.93"N	75°50'51.32"E
10	Akeda	27° 0'25.41"N	75°48'45.67"E
11	Jaisalya	26°59'36.43"N	75°49'17.09"E
12	Papad	26°58'4.10"N	75°47'41.57"E
13	Kishanbag	26°57'5.81"N	75°46'54.65"E
Sl. No.	Villages in Eco-sensitive Zone	Latitude	Longitude
1	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
2	Harwar	27° 3'58.08"N	75°56'25.90"E
3	Dhand	27° 4'44.03"N	75°56'20.66"E
4	Gunawata	27° 5'34.61"N	75°56'57.21"E
5	Labana	27° 6'38.16"N	75°57'45.56"E
6	Ani	27° 7'5.48"N	75°59'7.83"E
7	Achoral	27° 8'8.37"N	75°58'20.78"E
8	Jaitpura Khinchi	27° 7'58.38"N	75°55'2.24"E
9	Chhapreri	27° 6'44.47"N	75°54'51.62"E
10	Singhwana	28° 5'52.77"N	75°50'0.01"E
11	Chokhalyawas urf Kacherawala	27° 4'30.74"N	75°55'2.22"E
12	Bagwada	27° 5'28.14"N	75°50'51.42"E
13	Daulatpura	27° 4'46.15"N	75°49'53.80"E

ANNEXURE-V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आमेर
पटवार हल्का :- आमेर
भू.अभि.नि. :- आमेर
तहसील :- आमेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार संवत् :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 579
खाता संख्या पुराना :- 521

काश्तकार का नाम:-

1. दामोदरप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन सा. देह खातेदार,


खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	0.0100	गै.मु.आबादी	0.0100	0.00		
1439/9159	0.0500	चाही 2	0.0200	0.51		
		जाव 2	0.0300	0.38		
757	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	0.00		
758	0.7900	चाही 2	0.7900	20.15		
760	0.0900	चाही 2	0.0900	2.30		
761	0.3300	चाही 2	0.3300	8.42		
762	0.3400	चाही 2	0.3400	8.67		
779	0.3800	चाही 2	0.3800	9.69		
780	0.3200	चाही 2	0.3200	8.16		
781	0.2500	बारानी 3	0.2500	0.58		
कुल खसरे - 10	2.5800		2.5800	58.8600		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 1-Dec-2024





Reg. no.-coop/2022/JAIPUR/203739

BRN.NO.-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर - 302002

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी	हैमराज मीणा	ओमप्रकाश मीणा
मो. - 9214886314	मो. - 9672000092	मो. - 9887567836

जरिये रजिस्टर्ड डाक

क्रमांक एफ (01)/शिकायत/2024/472-489

दिनांक 25.10.2024

सेवामें,

1. श्रीमान केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. श्रीमान् राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
3. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
4. चैयरमेन, नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड, इन्द्रा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
5. चैयरमेन, नेशनल टाईगर कन्जरवेशन अथॉरिटी, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
6. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर
7. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर
8. श्रीमान् सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, अरावली भवन, जयपुर।
9. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंस्टीव जोन कमेटी।
10. श्रीमान् सक्षम अधिकारी, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) झालाना डूंगरी जयपुर।
11. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता जल, संसाधन उपखण्ड जयपुर।
12. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डूंगरी जयपुर।
13. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
14. श्रीमान् सदस्य सचिव राजस्थान पोलेशन कंट्रोल बोर्ड झालाना डूंगरी जयपुर।

E-mail ID - edcnahargarh@gmail.com, Helpline Number - +91-9214886314



15. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
16. श्रीमान उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर।
17. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर।
18. श्रीमान सहायक वन संरक्षक बायलोजिकल पार्क जयपुर।

विषय:- दामोदर अग्रवाल नाम के व्यक्ति द्वारा नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य सीमा एवं ईको सेंसिटिव जोन सीमा के अन्दर ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर रेंज नाहरगढ नाका चिमनपुरा, आमेर के खसरा नम्बर 758, 760, 761, 757 (बायलोजिकल पार्क के नीचे) में बिना वन विभाग की अनुमति एवं बिना वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस एवं बिना पोलेशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति एवं ग्राउंड वाटर अथोरेटी भारत सरकार की अनुमति के व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल/रिसोर्ट का नवनिर्माण विधि-विरुद्ध करने बाबत।

सन्दर्भ :- नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 एवं नाहरगढ ईको सेंसिटिव जोन अधिसूचना 08.03.2019 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के आदेश दिनांक 13.03.2024 ओरिजनल एप्लिकेशन नम्बर 153/2023 हेमराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 09.10.2024 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.1996 की अनुपालना में केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.01.1997 व माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली के आदेश दिनांक 15.04.2015 व राजस्थान सरकार वन विभाग के आदेश दिनांक 12 जुलाई 2024 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय याचिका (सिविल) 202/1995 में प्रस्तुत आई.ए. संख्या 100/2003 में आदेश दिनांक 03.06.2022 और आई.ए संख्या 131377/2022 आदेश दिनांक 26.04.2023 के आदेशों के उल्लंघन के संबंध में।

मान्यवर महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन निम्नानुसार है-

1. यह है कि महोदय प्रार्थी वन प्रेमी है तथा भारतीय नागरीक है एवं आर.टी.आ.ई. कार्यकर्ता भी है तथा नाहरगढ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं विकास सेवा समिति का मंत्री है समिति का उद्देश्य मात्र और मात्र पर्यावरण एवं नाहरगढ अभयारण्य की

सुरक्षा एवं विकास का एकमात्र उद्देश्य है, प्रार्थी की संस्था वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं विकास में विशेष रुचि रखती है तथा समय-समय पर वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं विकास हेतु जनजागरूकता अभियान चलाती है, प्रार्थी की संस्था द्वारा नाहरगढ अभयारण्य की सुरक्षा एवं गैरवानिकी गतिविधियों रूकवाने हेतु कई प्रकार के सफल एवं कठोर कार्य किये हैं तथा गैरवानिकी गतिविधियों को प्रकाश में लाकर न्यायालय द्वारा उनको रूकवाया गया है जैसे- नाहरगढ फोर्ट प्रकरण, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा अवैध अतिक्रमण, अभयारण्य सीमा में बिना अनुमति के फिल्म सूटिंग के प्रकरण, मन्दिर नाना देवी माता (शहीद वन कर्मी प्रकरण) नवरतन कोठारी प्रकरण में नाहरगढ अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से रात्रि में पार्टी प्रकरण,रीको द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से औद्योगिकी क्षेत्र की स्थापना प्रकरण, जयगढ फोर्ट प्रकरण, होटल 7एप्पल प्रकरण, रिसोर्ट कुंदनवन प्रकरण, पालीवाल होटल प्रकरण, फिल्म शुद्ध देशी रोमांश फिल्म प्रकरण, नवरत्न अग्रवाल प्रकरण, होटल ताज प्रकरण, सिरिस्का वन्य जीव अभयारण्य प्रकरण आदि इस प्रकार के अवैध प्रकरणों को माननीय एन.जी.टी. के समक्ष पी.आई.एल. लगाकर प्रकरणों को न सिर्फ उजागर किया अपितु उन अवैध कार्यों का सफलता पूर्वक रूकवाया तथा प्रार्थी द्वारा प्रेषित सभी पी.आई.एल. माननीय एन.जी.टी. द्वारा स्वीकार भी की गई तथा राज्य सरकार पर लापरवाही हेतु जुर्माना भी लगवाया गया है यही नहीं प्रार्थी की संस्था द्वारा वन विभाग में फौले भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के मामले लोकायुक्त महोदय के समक्ष उजागर करके 35 आई.एफ.एस. अधिकारियों विरुद्ध विभागीय कार्यावाही प्रस्तावित करवायी गयी है। यही नहीं प्रार्थी की संस्था द्वारा सिरिस्का अभयारण्य, बफर, सी.टी.एच में संचालित सभी गैर वानिकी गतिविधियों एवं अधिसूचनाओं के उल्लंघन के संबंध में एक उच्च स्तरीय प्रकरण माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल व माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष उजागर करके प्रकरण को प्रकाश में उजागर किया गया जिससे राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी के द्वारा उजागर किये गये प्रकरण को स्वीकार करते हुये

माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल व माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को मय शपथ पत्र यह आवश्यक किया गया था। कि सरिस्का के सी. टी.एच प्रकरण हो या बफर क्षेत्र में अवैध निर्माणों को तत्काल ध्वस्त किया जाएगा, तथा किसी अभ्यारण्य क्षेत्र में या किसी व्यक्ति संस्था द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने एवं पर्यावरणीय अधिनियमों की उल्लंघन करने की स्थिति में गोपनीय रूप से एवं लिखित रूप से समय-समय पर आप सभी के कार्यालय को अवगत कराता रहा है, तथा वन अपराधियों को दण्ड भी प्रार्थी द्वारा कई प्रकरणों में दिलवाया गया है। महोदय नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक संवेदनशील अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है यहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के वन भूमाफियाओं का हस्तक्षेप चरम सीमा पर रहा है इस अभ्यारण्य की सीमाएँ जयपुर शहर की सीमाओं से मिली हुई है जिससे अभ्यारण्य की सुरक्षा हमेशा खतरे में रही है साथ ही इस अभ्यारण्य में विचरण करने वाले वन्यजीवों को भी खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है इस अभ्यारण्य क्षेत्र में कई प्रकार की गैरवानिकी गतिविधियाँ वर्तमान में चरमसीमा पर संचालित है। उक्त सभी गतिविधियाँ वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से संचालित करवायी जा रही है जिसको हम नकार नहीं सकते। महोदय इस अभ्यारण्य क्षेत्र में खुले आम वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 का स्पष्ट उल्लंघन प्राय देखने को मिलता है हाल ही में इस अभ्यारण्य को लेकर माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ने भी चिंता व्यक्त की है, तथा उनके द्वारा समय-समय पर अपने आदेशों में यह उल्लेखित किया जाता है कि अभ्यारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न हो इस हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को कठोर निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं फिर भी आप सभी के कार्यालय द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र में गैरवानिकी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा रही है जो स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम की


धारा 52 की तहत आप सभी के कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाते हैं।

2. यह है कि नाहरगढ़ जीव अभ्यारण राज्य आदेश क्रमांक 07(58) क/61 दिनांक 21.11.1961, द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खंड आमंर 54 की भूमि को दिनांक 15.03.1962 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजट अधिसूचना जारी की गयी है तथा राज्य आदेश क्रमांक 11(39) राजस्थान/8/80 दिनांक 22.09.1980 के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबंधों के अधीन उक्त क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसे नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और उक्त अभ्यारण्य क्षेत्र की चारों सीमाओं को चिन्हित किया गया है और यह भी स्पष्ट करना होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा आदेश आर 6(24)/93/6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को उद्घोषित किया गया है तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है। विभागीय अनुमोदित नक्शा एवं केमल फाइल के अनुसार पूर्व सीमा आमेर दिल्ली रोड को परपल लाईन से दर्शाया गया है और परपल लाईन अभ्यारण्य लाईन नक्शे में अभ्यारण्य लाईन उल्लेखित की गयी है।
- 3 यह है कि महोदय दामोदर अग्रवाल नाम के व्यक्ति द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सीमा एवं इको सेंसेटिव जोन सीमा के अन्दर ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर रेंज नाहरगढ़ नाका चिमनपुरा, आमेर के खसरा नम्बर 758, 760, 761, 757 (बायलोजिकल पार्क के नीचे) में बिना वन विभाग की अनुमति एवं बिना वार्डल्ड लाईफ क्लियरेंस के एक विशाल एवं व्यवसायिक प्रवृत्ति का होटल/रिसोर्ट का नवनिर्माण किया जा रहा है जो कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की आरक्षित वन सीमा से ZERO मीटर की दूरी पर किया जा रह है, तथा बायलोजिकल पार्क से भी ZERO मीटर की दूरी पर उक्त नवनिर्माण किया जा रहा है। नवनिर्माण की

वजह से अभयारण्य क्षेत्र में काफी प्रदूषण फैल रहा है जो कि बायलोजिकल पार्क में विचरण करने वाले व रहने वाले वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। संचालक द्वारा अपने व्यावसायिक भवन के नवनिर्माण से पूर्व अपने भवन का वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं इ. आई. ए के नोटिफिकेशन वर्ष 2006 के अनुसार उक्त नवनिर्माण का वाईल्ड लाइफ क्लीयरेंस करवाया जाना वांछनीय था, परंतु उसके द्वारा क्लीयरेंस नहीं करवाकर बिना क्लीयरेंस के ही नवनिर्माण प्रारंभ कर दिया जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है और शीघ्र ही पूर्ण होने की स्थिति में आ चुका है। यहां पर यह तथ्य भी आप सभी के कार्यालय की जानकारी में लाना आवश्यक है कि उक्त नवनिर्माण बायलोजिकल पार्क के प्रारंभिक रास्ते पर ही किया जा रहा है उक्त रास्ता बायलोजिकल पार्क तक जाने का एक मात्र यही रास्ता है अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है और उक्त रास्ते में से आये दिन वन विभाग के सभी जिम्मेदारी अधिकारी एवं कर्मचारी एवं आप सभी के कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बायलोजिकल पार्क जाते समय उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार की अवैध निर्माण एवं गैरवानिकी गतिविधियों को देखकर भी आप सभी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अनदेखा किया जाता है इससे प्रतीत होता है कि उक्त अवैध निर्माण में आप सभी के कार्यालयों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मौन स्वीकृति रही है जिसे नकारा नहीं जा सकता है जो कि स्पष्ट रूप से वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं इ.आई.ए के नोटिफिकेशन 2006 के उल्लंघन आप सभी के कार्यालय एवं निर्माणकर्ता द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है जो कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 52 के तहत आप सभी दण्ड के भागी हैं, तथा आप सभी के कार्यालय को यह तथ्य भी संज्ञान में लाया जाता है कि निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन का भूरूपांतरण व्यवसायिक रूप में नहीं हुआ है और जब तक किसी भी होटल या रिसोर्ट का भूरूपांतरण व्यवसायिक रूप में नहीं होता तब तक उसका संचालन स्वयं में अवैध होता है इस प्रकार उक्त निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन का

निर्माण विधि अनुरूप नहीं होने की स्थिति में ध्वस्त किये जाने योग्य है। यहां पर आप सभी के कार्यालयों को यह तथ्य भी प्रकाश में लाना आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 202/1995 में प्रस्तुत आई.ए संख्या 1000/2003 में आदेश दिनांक 03.06.2022 और आई.ए संख्या 131377/2022 के आदेश दिनांक 26.04.2023 पारित करते हुये अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य/रक्षित वन क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर या इ.एस.जेड जो भी अधिक हों तक व्यावसायिक/औद्योगिक गतिविधियों वर्जित की है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार वन विभाग के आदेश क्रमांक 3(10) वन/2014 पार्ट दिनांक 12 जुलाई 2024 द्वारा क्रम सं 12, 13, 16, 17, 18 को निर्देशित किया गया था कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कराये, तथा किसी भी अभयारण्य क्षेत्र में या अभयारण्य क्षेत्र से एक किलोमीटर दूर या ई.एस.जेड की सीमा में जो भी अधिक हो किसी भी प्रकार की नवीन व्यावसायिक गतिविधियों का निर्माण एवं संचालन नहीं हों उक्त आदेश के पश्चात् भी उक्त नवनिर्माण निरंतर निर्माणाधीन है जिसकी जानकारी आप सभी के कार्यालय को विधित है फिर भी आप सभी के कार्यालय द्वारा उक्त निर्माणकर्ता एवं निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना यह सिद्ध करता है कि आप लोगों की भूमिकायें संदिग्ध है। इस प्रकार उक्त नवनिर्माणाधीन व्यावसायिक प्रतिष्ठान माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जिसके लिये आप क्रम सं. 12, 13, 16, 17, 18 प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। यहां पर यह तथ्य भी उल्लेखित है कि हाल ही में केंद्र सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से मात्र 95 मीटर की दूरी पर होटल ताल के वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस को यह कहते हुये निरस्त किया गया कि उक्त व्यावसायिक होटल, होटल ताज अभयारण्य सीमा से मात्र 95 मीटर की दूरी पर है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है लिहाजा उक्त होटल का वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस नहीं किया जा सकता और इस होटल को ध्वस्त करने हेतु राज्य सरकार

राजस्थान को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में जयपुर जिला कलेक्टर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त होटल को ध्वस्त करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो अभयारण्य क्षेत्र में और न ही अभयारण्य क्षेत्र से एक किलोमीटर दूर तक किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां/पक्का नवनिर्माण नहीं किया जा सकता और ऐसे नवनिर्माण गतिविधियों को न सिर्फ केंद्र सरकार न अवैध माना अपितु माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एवं एन.जी.टी ने भी ऐसे निर्माणों को अवैध करार देते हुये उनको ध्वस्त करने के आदेश समय-समय पर जारी करते रहे हैं। "उक्त होटल ताज का प्रकरण भी हमारी संस्था द्वारा ही सर्वप्रथम राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड नई दिल्ली के सज्ञान में लाया गया था जिस पर हमारे द्वारा उठाये गये सभी आरोपों का सत्यापन किया गया बात जांच सही पाये जाने पर होटल ताज का प्रस्ताव निरस्त कर आप सभी के कार्यालय को निर्देशित किया गया कि उक्त होटल ताज को तत्काल ध्वस्त किया जावे आप सभी के कार्यालय के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब करने की स्थिति में हमारी संस्था द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के समक्ष रखा गया है जिसका सज्ञान लेते हुये माननीय एन.जी.टी ने आप सभी लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तात्पर्य आप सभी के कार्यालय वन संरक्षक वन्यजीव संरक्षण एवं माननीय न्यायालयों सर्वोच्च न्यायालयों एवं प्राधिकरण के आदेशों एवं केन्द्र सरकार की अधिसूचनाओं का उल्लंघन करने के आदि के हो चुके है यही कारण रहा है कि आज इस अभयारण्य क्षेत्र में आये दिन न्यायालयों द्वारा सज्ञान लिया जा रहा है।"





- 4 यह कि महोदय नवनिर्माणाधीन व्यवसायिक होटल/रिसोर्ट जो बायलोजिकल पार्क के नीचे निर्माणाधीन है उक्त निर्माणाधीन होटल/रिसोर्ट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति प्राप्त नहीं है और न ही निर्माणकर्ता द्वारा पोलेशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेट टू ऑपरेट कंसेट टू स्टाबिलिजमेंट नहीं ली गयी है और बिना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सक्षम स्वीकृति के इस प्रकार का नवनिर्माण करना पोल्यूशन अधिनियम की अवमानना की श्रेणी में आता है इस प्रकार निर्माणकर्ता द्वारा जानबूझकर पोल्यूशन अधिनियमों का उल्लंघन किया गया है। लिहाजा निर्माणकर्ता के ऊपर पोल्यूशन अधिनियमों के अन्तर्गत पर्यावरणयुी क्षतिपूर्ति रूपयों में आकलन करके वसूल किया जाना वांछनीय है। जिसमें आप सभी भागीदार है।
- 5 यह कि महोदय नवनिर्माणाधीन व्यावसायिक होटल/रिसोर्ट जो बायलोजिकल पार्क के नीचे निर्माणाधीन है उक्त निर्माणाधीन होटल/रिसोर्ट का हमारे संस्था संदस्यों द्वारा गोपनीय रूप से मौका निरीक्षण किया गया तो पाया कि उक्त परिसर में एक स्वीमिंगपूल व कई व्यवसायिक प्रवृति के छोटे-छोटे हटनुमा एवं पक्का भवन नवनिर्मित किया जा रहा हैं जो कि देखने में प्रथम दृष्टया व्यवसायिक प्रवृति के दिखायी दे रहे हैं, तथा परिसर में पानी का बोरवेल खुदवाया हुआ है उक्त पानी का उपयोग उक्त व्यवसायिक भवन के नवनिर्माण में किया गया है जो कि बिना केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण की अनुमति के किया गया है इस संदर्भ में माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल नई दिल्ली व केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना एवं आदेश जारी

किये जा चुके हैं आदेशों के अनुसार भूमि के जल का उपयोग व्यवसायिक रूप में तभी किया जा सकता है जब उक्त जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा अनुमति जारी की गयी हों बिना अनुमति के यदि कोई व्यवसायिक भवन निर्मित होता है तो वह स्वयं में अवैध होता है और उसे ध्वस्त करने के कई आदेश माननीय एन.जी.टी ने जारी किये हैं। ऐसी स्थिति में संचालक के पास भूजल बोर्ड से अनुमति नहीं होने की स्थिति में उक्त नवनिर्माण स्वयं में ही अवैध है जिसे ध्वस्त किया जाना वांछनीय है।

- 6 यह कि महोदय नवनिर्माणाधीन व्यवसायिक होटल/रिसोर्ट जो बायलोजिकल पार्क के पास निर्माणाधीन है उक्त निर्माणाधीन होटल/रिसोर्ट नाहरगढ़ इको सेंस्टिव जोन अधिसूचना 08.03.2019 के अनुसार उक्त परिसर ई.एस.जेड की सीमा में आता है और ई.एस.जेड अधिसूचना के अनुसार ई.एस.जेड की सीमा में किसी भी प्रकार नवीन व्यवसायिक गतिविधियां, नवनिर्माण अनुमत नहीं है किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि, नवनिर्माण से पूर्व ई.एस.जेड मॉनिट्रिंग कमेटी से अनुमति लिया जाना वांछनीय है, परंतु संचालक द्वारा मोनिट्रिंग कमेटी से अनुमति प्राप्त किये बिना ही न सिर्फ निर्माण प्रारंभ किया अपितु निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में आ चुका है ऐसी स्थिति में ऐसे निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता और इस प्रकार के निर्माण को ध्वस्त करने का उत्तरदायित्व मोनिट्रिंग कमेटी का बनता है।
- यहां पर यह तथ्य भी प्रकाश में लाना आवश्यक है कि उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर क्रम संख्या 16 को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ई.एस.जेड मॉनिट्रिंग कमेटी में मेम्बर सेकट्री बनाया हुआ है/नियुक्त है, परंतु उनके द्वारा कमेटी के संज्ञान में उक्त नवनिर्माण एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नहीं लाया गया जो कि उनके पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है साथ ही अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के तथ्य सामने आते हैं इस प्रकार उक्त व्यावसायिक नवनिर्माण में उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर श्री जगदीश गुप्ता उतने ही दोषी है

जितने की नवनिर्माण करने वाला संचालक दामोदर अग्रवाल इस प्रकार दोनों ही व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसमत् कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।”

- 7 यह कि महोदय नवनिर्माणाधीन व्यावसायिक होटल/रिसोर्ट जो बायलोजिकल पार्क के पास निर्माणाधीन है उक्त निर्माणाधीन होटल/रिसोर्ट नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन भूमि की सीमा को ओवरलेप कर रही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के नक्शे के अनुसार पूर्वी सीमा में आता है तथा पूर्वी सीमा परपल लाईन से दर्शायी गयी है जो कि आमेर-दिल्ली रोड पर दर्शायी गयी है। इस प्रकार उक्त नवनिर्माण होटल/रिसोर्ट का नवनिर्माण विशाल व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में होना प्रमाणित है। साथ ही उक्त रिसोर्ट का निर्माण का कुछ भाग आरक्षित वन भूमि में भी होने की पूर्ण संभावना है ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य पर भी संज्ञान लेते हुये संयुक्त सर्वे करवाया जाना भी वांछनीय है। यहां पर यह तथ्य भी उल्लेखित करना भी आवश्यक है कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अनुमोदित नक्शों वर्ष 2019 के अनुसार पूर्वी सीमा आमेर दिल्ली रोड को परपल लाईन से दर्शाया गया है और परपल लाईन को नक्शों में अभ्यारण्य लाईन दर्शायी गयी है और उक्त नवनिर्माणाधीन व्यावसायिक प्रतिष्ठान परपल लाईन के अंदर विद्यमान है जो कि एक निर्विवाद विषय है एवं स्वयं सिद्ध होता है कि उक्त विवादित भूमि अभ्यारण्य भूमि है जिसमें किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किसी भी रूप में वैध नहीं है। इस प्रकार बिना अनुमति के इस प्रकार के निर्माण को ध्वस्त किया जाना अभ्यारण्य नियमों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ध्वस्त किया जाना वांछनीय है।”



- 8 यह कि महोदय भारत सरकार पर्यावरण और वन्य जीव मंत्रालय द्वारा गाईड लाईन दिनांक 19.08.2012 फाईल नंबर 6-10/2011 WL द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के अन्दर या इको सेंसिटिव जोन के अन्दर कोई भी व्यवसायिक गतिविधि/पक्का निर्माण संचालित करने से पूर्व व्यवसायिक गतिविधि/पक्का निर्माण का वाईल्ड लाइफ किल्यरेंस नेशनल वाईल्ड लाइफ से करवाना अतिआवश्यक है। इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2006 रीट पीठीसीन 407/2004 में भी वाईल्ड लाइफ किल्यरेंस के संबंध में निर्देश दिये जा चुके है इस प्रकार निर्माणकर्ताओं ने निर्माण से पूर्व वाईल्ड लाइफ किल्यरेंस नही करवाकर उक्त केन्द्र सरकार की अधिसूचना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना की है इस प्रकार उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण विधि विरुध है।

9 यह कि महोदय सहायक अभियन्ता, जे.वि.वि.एन.एल., कुण्डा की ढाणी, आमेर, जयपुर द्वारा बिना वन विभाग की पूर्व अनुमति के उक्त नवनिर्मित भवन होटल/रिसोट जो कि बायलोजिकल पार्क के पास स्थित है उक्त व्यवसायिक होटल प्रतिष्ठान को अवैध विद्युत कनेक्शन नाहरगढ अभ्यारण्य भूमि पर दिया गया है जो कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, यहां पर यह तथ्य प्रकाश में लाना है कि वन विभाग के सहाय वन संरक्षक द्वारा पूर्व में पत्रों के माध्यम से जे.वि.वि.एन.एल. के उच्च कार्यालयों को स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश दिये गये है कि बिना वन विभाग की अनुमति के किसी भी प्रकार के घरेलू/व्यवसायिक कनेक्शन जारी नहीं करे, परंतु कार्यालय सहायक अभियन्ता, जे. वि.वि.एन.एल., कुण्डा की ढाणी, आमेर, जयपुर के द्वारा उक्त आदेशों की अवमानना कर रहा है जिसके कारण आरक्षित वन भूमि एवं अभ्यारण्य भूमि पर अतिक्रमण दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। उक्त होटल संचालक द्वारा यह कृत्य वन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अवमानना की श्रेणी में आता है।

10 यह कि महोदय नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है जो कि नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग है, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं केन्द्र सरकार के अधिसूचना के अनुसार अरावली पर्वतमाला से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की व्यावसायिक/आद्योगिक गतिविधियां अनुमत नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त नवनिर्माणाधीन भवन अरावली पर्वतमाला की परिधि में भी स्थित है जो कि एक अवैध निर्माण है जिसका वर्णन हमारे द्वारा पूर्व के पैरों में किया जा चुका है यदि हम सम्पूर्ण प्रकरण को एक नजर से देखते हैं तो यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त नवनिर्माण की नींव ही अवैध रूप से रखी गयी है और यह नींव मात्र राजनैतिक प्रभाव एवं वन अधिकारियों के संरक्षण से रखी है जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता है नहीं है इस प्रकार उक्त निर्माण स्वयं में अवैध है जिसे ध्वस्त किया जाना वांछनीय है।

“विशेष कथन”

महोदय प्रार्थी द्वारा जब उक्त प्रकरण के गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त की तो कई आशयजनक तथ्य प्रकाश में आये जो कि आप सभी के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है उक्त व्यवसायिक नवनिर्माण होटल/रिसोर्ट जिसका भूमि मालिक दामोदर अग्रवाल है दामोदर अग्रवाल एक बणीया जाति से संबंध रखता है, तथा उक्त अभ्यारण्य क्षेत्र के उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर श्री जगदीश गुप्ता बणीया जाति से संबंधित है और दोनों ही एक समाज विशेष से संबंध रखते हैं, तथा इन दोनों व्यक्तियों द्वारा आपस में साट-गाठ करके उक्त व्यवसायिक नवनिर्माण में पाटनरशीप की गयी है, तथा व्यवसायिक कार्य में जगदीश गुप्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके साझीदार है इस कारण उनके द्वारा इस व्यवसायिक नवनिर्माण गतिविधि को जो की अभ्यारण्य में की जा रही है उसको नहीं रोका गया और उनके द्वारा उनके कार्यकाल वर्तमान में भी कई बार उस क्षेत्र में निरीक्षण किया गया है फिर भी उनके द्वारा आज तक कोई आदेश जारी नहीं करना यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि जगदीश गुप्ता ऐसी गतिविधियों को संरक्षण प्रदान कर रहे है और इस प्रकार जगदीश गुप्ता द्वारा जानबूझकर वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, तथा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये कोई कठोर कार्यवाही जगदीश गुप्ता द्वारा नहीं की गयी ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जगदीश गुप्ता के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है साथ ही जगदीश गुप्ता उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर व निर्माणकर्ता के विरुद्ध वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार एफ.आई.आर दर्ज कर तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावे साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि उक्त सारे प्रकरण के पीछे एक उच्च स्तरीय राजनेता का भी हस्तक्षेप है जो विभाग के अधिकारियों को डरा धमकाकर उक्त अवैध गतिविधियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है ऐसी स्थिति में उक्त राजनेता की भूमिका की जांच कर उसके विरुद्ध भी वही

कार्यवाही की जावेँ जैसा कि निर्माणकर्ता व उसके सहयोगियों के विरुद्ध प्रस्तावित हों।”

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभ्यारण्य हित में तत्काल प्रभाव से उक्त नवनिर्माणाधीन व्यवसायिक होटल/रिसोर्ट को तत्काल प्रकार से ध्वस्त किया जावे साथ ही जिम्मेदारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा पर्यावरण को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति रूपयों में आकलन करके जगदीश गुप्ता उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर व संचालक से वसूल किया जावे।

धन्यवाद,

प्रार्थी

Heemraj Meena
(हेमराज मीणा)

मंत्री

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ (01)/शिकायत/2024/490-499

दिनांक 25.10.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
2. श्रीमान् आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
3. श्रीमान् तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
4. श्रीमान् सहायक अभियन्ता जेविविएनएल कुण्डा की ढाणी आमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में उचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे साथ ही आपके कार्यालय द्वारा जारी विद्युत कनेक्शन को तत्काल हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

5. श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव नाहरगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
6. श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी बायलोजिकल पार्क को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
7. श्रीमान वन पालनाका चिमनपुरा रेंज नाहरगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
8. श्रीमान् संपादक महोदय राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाईमस ऑफ इंडिया, फस्ट इंडिया न्यूज, नव भारत टाइम्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. श्रीमान् कृष्ण शर्मा एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं प्रदुषण अधिनियम 1980 एवं पर्यावरणीय नियमों एवं अधिनियमों का उल्लंघन प्रथम दृष्टयता सिद्ध होता है साथ ही उक्त प्रकरण में वन अधिकारियों की क्रम सं. 12, 13 व 16 से 18 की भूमिका भी संदिग्ध है ऐसी स्थिति में कार्यवाही राज्य स्तर पर प्रभावित होना प्रतीत हो रहा है लिहाजा उक्त प्रकरण को माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंद्रल जोन भोपाल के समक्ष पेश किये जाने का कष्ट करे। साथ क्रम सं. 12, 13, व 16, 17, 18 को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाते हुये याचिका पेश करने का कष्ट करे।
10. रक्षित पत्रावली।

प्रार्थी

Heera Raj Meena
(हेमराज मीणा)

मंत्री

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव
सुरक्षा एवं सेवा समिति

ER293918120IN IVR:6982293918120
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:ADHISHASHI AB,JAL SANSADAN UPK
 PIN:301024, Narainpur S.O (Alwar)
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:50gms
 Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918249IN IVR:6982293918249
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:UP VAN SANSKSHAK ,SARISKA
 PIN:301022, Thanagazi S.O
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:60gms
 Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918014IN IVR:6982293918014
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:NIDESHAK RAJ ,PARYATAN VIBHAS
 PIN:302001, Jaipur G.P.O.
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:60gms
 Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918028IN IVR:6982293918028
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:MANAGER ,VANYAVILAS
 PIN:301001, Alwar H.O
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:60gms
 Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918000IN IVR:6982293918000
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:THE DEPUTY C,WILDLIFE ZOO
 PIN:302001, Jaipur G.P.O.
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:124gms
 Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918031IN IVR:6982293918031
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:ATIRIKI MUKHY,SHASHAN SACHIVAL
 PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:160gms
 Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918045IN IVR:6982293918045
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:MUKHYA VAN SA,ARANYA DHAMAN
 PIN:302004, Jawahar Nagar H.O
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:160gms
 Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918059IN IVR:6982293918059
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:UP VAN ADHIKARI , -
 PIN:301001, Alwar H.O
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:60gms
 Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918062IN IVR:6982293918062
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:CHETRIYE VAN ,VANYA JEEV BIOLD
 PIN:302028, Amer S.O
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:230gms
 Amt:35.40,Tax:5.40,Amt.Paid:35.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



ER293918076IN IVR:6982293918076
 SP GOVIND NAGAR S.O (JAIPUR) <302002>
 Counter No:1,29/10/2024,11:47
 To:CHETRIYE VAN ,01 VKI SIKAR RGA
 PIN:302013, Vishwakarma Industrial Area S.O
 From:RAJENDRA TI,29 SHANKAR COLON
 Wt:220gms
 Amt:35.40,Tax:5.40,Amt.Paid:35.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : 3 (10)वन/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक : 12 JUL 2024

आदेश

विभाग की जानकारी में आया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान/बाघ संरक्षण क्षेत्र/अभ्यारण्य/रक्षित वन क्षेत्र में अथवा उनके बफर क्षेत्र/ESZ (अधिसूचित/ड्राफ्ट) में स्थित राजस्व भूमि का सम्बन्धित प्राधिकारी (राजस्व/नगरीय निकाय) द्वारा वन विभाग की अनापत्ति के बिना गैरवानिकी प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन कर दिया जाता है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा भी समय-समय पर इस संबंध में आदेश/निर्देश जारी कर सम्बन्धित वन अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों से प्रदत्त आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में पूर्व में जारी किये गये आदेश/निर्देश निम्नानुसार पुनः प्रसारित किए जाते हैं :-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 202/1995 में प्रस्तुत आई.ए. संख्या 1000/2003 में आदेश दिनांक 03.06.2022 और आई.ए. संख्या 131377/2022 में आदेश दिनांक 26.04.2023 पारित करते हुये अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य/रक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर या ESZ जो भी अधिक हो तक खनन कार्य और प्रतिबन्धित श्रेणी की व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियां वर्जित की है जिन राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए ESZ अधिसूचित नहीं है वहां उक्त सीमा 10 किलोमीटर तक रखे जाने के निर्देश है। अतः उक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. F. NO. 6-30/2019-WL दिनांक 06 मई 2022 द्वारा रक्षित क्षेत्र (PA), वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व एवं लिफ्टिंग एरिया में गतिविधियों हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति (wildlife clearance) हेतु गाईडलाईन जारी की गयी है। अतः संबंधित प्राधिकारी ऐसे रक्षित क्षेत्र (PA) बाघ रिजर्व एवं उनके अधिसूचित/ड्राफ्ट ESZ में प्रस्तावित गतिविधियों/प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति जारी करने से पूर्व उक्त गाईडलाईन्स की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा आदेश F NO 7-9/2010-NTCA (Part) दिनांक 28 नवम्बर 2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2019 के द्वारा अधिसूचित बाघ रिजर्व (कोर/बफर), कोरिडोर/ लिफ्टिंग एरिया में आधारभूत विकास परियोजनाओं की स्वीकृति/क्रियान्वयन में वैज्ञानिक प्रावधानों की पालना के संबंध में

निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति (wildlife clearance) एवं वन भूमि शामिल होने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति (Forest clearance) आवश्यक है। अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 के I.A. NO. 131377/2022 आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2023 के बिंदु संख्या 66 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रक्षित क्षेत्र (PA) के ESZ के भीतर एवं बाहर प्रोजेक्ट्स/गतिविधियों हेतु पर्यावरण स्वीकृति (EC) वन स्वीकृति (FC) एवं वन्यजीव स्वीकृति (WLC) के संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्डम FC-11/119/2020-FC दिनांक 17 मई 2022 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।
5. वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क. F NO 3(10) वन/2014 दिनांक 31/3/2015 के द्वारा रणथम्भौर बाघ एवं सरिस्का बाघ रिजर्व, जवाई लेपर्ड संरक्षण रिजर्व एवं कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर एवं सरिस्का क्रिटिकल टाईगर हेबिटेट (CTH) जवाई लेपर्ड संरक्षण रिजर्व एवं कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचित सीमा की एक किलोमीटर की परिधि में व्यावसायिक (होटल सहित) एवं औद्योगिक (खनन सहित) गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। संबंधित राजस्व/नगरीय निकाय प्राधिकारी द्वारा एक किलोमीटर की सीमा भू-सम्परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

अतः समस्त जिला कलक्टर/राजस्व प्राधिकारी/आयुक्त/सचिव विकास प्राधिकरण/नगरीय न्यास/नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि रक्षित वन क्षेत्र (PA)/राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन(ESZ)/बाघ संरक्षण रिजर्व/क्रिटिकल टाईगर हेबिटेट (कोर/बफर) में किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट अनुमोदन/भू-सम्परिवर्तन से पूर्व सम्बंधित उप वन संरक्षक से अनिवार्य अनापत्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रकरण जिनमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति या दोनो आवश्यक हैं, तो ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रोजेक्ट अनुमोदन/भू-सम्परिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,



(अपर्णा अरोरा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य वनमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे
9. समस्त उप वन संरक्षक / उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर उपर्युक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे
10. रक्षित

(अशोक कुमार योगी)
शासन उप सचिव, वन

०१८

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर
रामनिवास बाग जयपुर

फोन नम्बर 0141-2617319

क्रमांक: एफ () FCA/जू/2021-22/ 5480

ई-मेल dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

दिनांक 24/6/24

वैठक कार्यवाही विवरण

Kanha Hotels and Spa Pvt.Ltd over an area of 0.0845 ha at khasra No. 54,55 के प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थाई समिति की 78 वी वैठक दिनांक 22.02.2024 के आदेश की पालना हेतु ESZ की मॉनिटरिंग कमेटी की जिला कलक्टर महोदय, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2024 को राय: 4.00 तले आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे हैं:-

1. उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिडियाघर जयपुर
2. सदस्य सचिव जैव विविधता बोर्ड जयपुर
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी, आमेर

एजेण्डा-1 राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थाई समिति की 78 वी वैठक दिनांक 22.02.2024 के पंरा संख्या 78.3.23 में निम्न निर्देश जारी किये गये है।

Kanha Hotels and Spa Pvt.Ltd over an area of 0.0845 ha at khasra No. 54,55 के Proposal No. FP/RJ/Others/4553/2019 संबध में।

Proposal for construction of kanha Hotels and Spa Pvt. Ltd. Over an area of 0.0845 ha at Khasra No. 55,55 and 56 Village Chimanpura Tehsil Amer Dist.Jaipur Rajasthan 95 Mts From the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary.

Proposal No. FP/RJ/Others/4553/2019

The proposal has been recommended by chief Wild life Warden the state Board for Wild life and the State Government.

The ESZ of the Naharagarh Sanctuary has been finally notified and as per the notification no new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco- Sensitive Zone Whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco- tourism activities and new commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone Whichever is Nearer.

Decision Taken:- After discussion the Standing Committee decided not to recommend the project proposal.

राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थाई समिति की 78 वी वैठक दिनांक 22.02.2024 के उक्त आदेश की निर्णय की पालना हेतु मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा की गई जिसमें सर्वसम्मति से उक्त निर्णय की पालना जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से करवाने हेतु निर्णय लिया गया। Kanha Hotels and Spa Pvt.Ltd द्वारा ESZ में बनाये गये नये निर्माण (Hotel) को हटाने/ध्वस्त हेतु JDA से कार्यवाही करवाने का निर्णय लिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को निर्णय की प्रति NBWL को पालनार्थ हेतु भिजवायी जावे।

एजेण्डा-2 अन्य विन्दुओं पर चर्चा अध्यक्ष महोदय की सहमति से

राजस्व ग्राम - कचेरावाला, तहसील आमेर के खसरा न. 626 रकबा 1.83 हेठ भूमि हेतु मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को निर्णय किया गया।

श्रीमती रूपबाइ मीणा पत्नि श्री हरसहाय मीणा. निवासी राजस्व ग्राम कचेरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर-302018 मोबाईल न. 9829015509 का राजस्व ग्राम कचेरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर के अन्तर्गत खसरा नम्बर 626 रकबा 1.83 हेठ भूमि हेतु प्राधिकृत अधिकारी जोन 13 द्वारा क्रमांक-192 दिनांक 30/08.2017 को उक्त भूमि को रिसोर्ट प्रयोजनार्थ 90 क के आदेश प्रदान किये गये तथा उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जविप्रा के नाम दर्ज हो गई।

Signature valid

Designation : Deputy Conservator Of Forest

Date: 2024/06/24

Reason: Approved

उक्त भूमि के लिए पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा उक्त भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ प्रस्ताव पट्टा जारी करने की स्वीकृति दिनांक 16.02.2024 को प्रदान की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा एक पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./उपा/ जोन-13/2024/डी-560 दिनांक 04.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त भूमि का भाग सम्पूर्ण भाग नाहरगढ ईको सेन्सिटिव जोन से प्रभावित है इस हेतु नाहरगढ ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 18.03.2019 के अनुसार गठित मॉनिटरिंग कमेटी को पूर्वानुमति (Proir approval) प्रस्तुत करें। उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय के समक्ष चर्चा की गई ESZ दिनांक 8.03.2019 को अधिसूचित जिसके विन्दू संख्या 4 के उप विन्दू 12 में उल्लेखित किया है।

Commercial establishment of hotels and resorts.

No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer except for small temporary structures for eco- tourism activities:

उक्त प्रस्ताव में नये रिसोर्ट बनवाने हेतु मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा आवेदन को अस्वीकार किया गया।

उक्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

गवदीय

सदस्य सचिव मॉनिटरिंग कमेटी ईको सेन्सिटिव जोन एवं
उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर
दिनांक 24/6/24

सम/क्रमांक 54/61-64

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला कलेक्टर जयपुर।
2. सदस्य सचिव जैव विविधता बोर्ड जयपुर
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी, आमेर

सदस्य सचिव मॉनिटरिंग कमेटी ईको सेन्सिटिव जोन एवं
उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Jagdish Chand Gupta
Designation : Deputy Conservator Of
RajKaj R Forest
810936
Date: 2024.06.24 07:24.37 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर
रामनिवास बाग जयपुर

फोन नम्बर : 0141-2617319

ई-मेल dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए/जू/2021-22/5460

दिनांक - 24.06.2024

बैठक कार्यवाही विवरण

Kanha Hotels and Spa Pvt. Ltd over an area of 0.0845 ha at khasra N0. 54,55 के प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थायी समिति की 78 वी बैठक दिनांक 22.02.2024 के आदेश की पालना हेतु ई.एस.जेड की मॉनिटरिंग कमेटी की जिला कलेक्टर महोदय, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2024 को साय - 4:00 बजे आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे हैं :-

1. उपवन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर।
2. सदस्य सचिव जैव विविधता बोर्ड जयपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी, आमेर

एजेण्डा-1 राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थाई समिति की 78 वी बैठक दिनांक 22.02.2024 के पैरा संख्या 78.3.23 में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं।

Kanha Hotels and Spa Pvt. Ltd over an area of 0.0845 ha at khasra N0. 54,55 के Proposal N0. FP/RJ/Others/4553/2019 संबध में।

Propasal for construction of Kanha Hotels and Spa Pvt. Ltd. over an area of 0.0845 ha at khasra N0. 54,55 and 56 village chimanpura Tehsil

Amer Dist. jaipur Rajasthan 95 Mts From The boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary.

Proposal N0. FP/RJ/Others/4553/2019

The Proposal has been recommended by chief Wildlife Warden the State Board for wildlife and the State Government.

The ESZ of the Nahargarh Sanctuary has been finally notified and as per the Notification no new commercial hotels and Resorts Shall be permitted Within one killometer of the boundary of the protected area of upto the extent of Eco- toursim activities and new commercial construction of any kind Shall not be Permitted Within one killometer from The boundary of The Protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone Whichever if Nearer.

Decision Taken :- After discussion the standing Commitee decided not to recommend the project proposal.

राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थाई समिति की 78 वी बैठक दिनांक 22.02.2024 के उक्त आदेश की निर्णय की पालना हेतु मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा की गई जिसमें सर्व सम्मति से उक्त निर्णय की पालना जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से करवाने हेतु निर्णय लिया गया। कान्हा होटला एण्ड इस्पा प्रा0 लि0 द्वारा ई.एस. जेड में बनाये गये नये निर्माण (होटल) को हटाने/ध्वस्त हेतु जेडीए से कार्यवाही करवाने का निर्णय लिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को निर्णय की प्रति एन.बी.डबल्यू. एल को पालनार्थ हेतु भिजवाये जावे।

एजेण्डा-2 अन्य बिन्दुओं पर चर्चा अध्यक्ष महोदय की सहमति से

राजस्व ग्राम - कचेरावाला, तहसील आमेर के खसरा नं. 626 रकबा 1.83 है० भूमि के नाहरगढ़ ईको सेन्सिटिव जोन हेतु नाहरगढ़ ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 18.03.2019 के अनुसार गठित मॉनिटरिंग कमेटी के पूर्वानुमति (proir approval) बाबत्।

श्रीमती रूपबाइ मीणा पत्नी श्री हरसहाय मीणा, निवासी -
..... मार्ग जयपुर - 302018 मोबाईल नम्बर 9829015509 का राजस्व ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखलियावास तहसील आमेर जिला जयपुर के अन्तर्गत खसरा नं. 626 रकबा 1.83 है० भूमि हेतु प्राधिकृत अधिकारी जोन 13 द्वारा क्रमांक - 192 दिनांक 30.08. 2017 को उक्त भूमि को रिसोर्ट प्रयोजनार्थ 90 क के आदेश प्रदान किये गये तथा उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जविप्रा के नाम दर्ज हो गई।

उक्त भूमि के लिए पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा उक्त भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ प्रकल पट्टा जारी करने की स्वीकृति दिनांक 16.02.2024 को प्रदान की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा एक पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा. /उपा/जोन-13/2024/डी-560 दिनांक 04.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त भूमि का भाग सम्पूर्ण भाग नाहरगढ़ ईको सेन्सिटिव जोन से प्रभावित है इस हेतु नाहरगढ़ ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 18.03.2019 के अनुसार गठित मोनिटरिंग कमेटी के पूर्वानुमति (proir approval) प्रस्तुत करें। उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय के समक्ष चर्चा की गई।

ई.एस.जेड दिनांक 08.03.2019 को अधिसूचित जिसके बिन्दु सं. 4 से उप बिन्दु 12 में उल्लेखनीय किया है।

Commercial estabillshment of hotels and resorts shall be permitted within on killometer of the boundary of the Protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer except for small temporary structuress for eco-tourism activites :

उक्त प्रकरण मे नये रिसोर्ट बनवाने हेतु मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा आवेदन को अस्वीकार किया गया।

उक्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

भवदीय

सदस्य सचिव मोनिटरिंग कमेटी ईको
सेन्सिटिव जोन एवं उपवन संरक्षक वन्यजीव
चिड़ियाघर जयपुर।

सम/क्रमांक 5461-64

दिनांक - 24.06.2024

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला कलेक्टर जयपुर।
2. सदस्य सचिव जैन विविधता बोर्ड जयपुर
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी, आमेर

भवदीय

सदस्य सचिव मोनिटरिंग कमेटी ईको
सेन्सिटिव जोन एवं उपवन संरक्षक वन्यजीव
चिड़ियाघर जयपुर।

Reg. no.-coop/2022/JAIPUR/203739

BRN.NO.-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर - 302002

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी	हैमराज मीणा	ओमप्रकाश मीणा
मो. - 9214886314	मो. - 9672000092	मो. - 9887567836

जरिये रजिस्टर्ड डाक

क्रमांक एफ (01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/661-678

दिनांक 09.12.2024

सेवामें,

1. श्रीमान् केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. श्रीमान् राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
3. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
4. चैयरमेन, नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड, इन्द्रा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
5. चैयरमेन, नेशनल टाईगर कन्जरवेशन अथॉरिटी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
6. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर
7. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर
8. श्रीमान् सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, अरावली भवन, जयपुर।
9. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंस्टीव जोन कमेटी।
10. श्रीमान् सक्षम अधिकारी, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) झालाना डूगरी जयपुर।
11. श्रीमान् अधिशाषी अमियन्ता जल, संसाधन उपखण्ड जयपुर।
12. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डूगरी जयपुर।
13. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
14. श्रीमान् सदस्य सचिव राजस्थान पोलेशन कंट्रोल बोर्ड झालाना डूगरी जयपुर।

15. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
16. श्रीमान उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर।
17. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर।
18. श्रीमान सहायक वन संरक्षक बायलोजिकल पार्क जयपुर।

विषय:- दामोदर अग्रवाल नाम के व्यक्ति द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सीमा एवं ईको सेंसिटिव जोन सीमा के अन्दर ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर रेंज नाहरगढ़ नाका चिमनपुरा, आमेर के खसरा नम्बर 758, 760, 761, 757 (बायलोजिकल पार्क के नीचे) में बिना वन विभाग की अनुमति एवं बिना वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस एवं बिना पोलेशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति एवं ग्राउंड वाटर अथोरेटी भारत सरकार की अनुमति के व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल/रिसोर्ट का नवनिर्माण विधि-विरुद्ध करने बाबत्।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 472-489 दिनांक 25.10.2024 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।

मान्यवर महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन निम्नानुसार है-

1. यह है कि महोदय इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ (01)/शिकायत /2024/472-489 दिनांक 25.10.2024 द्वारा आप सभी के कार्यालयों को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रेंज नाहरगढ़ नाका चिमनपुरा बायलोजिकल पार्क के नीचे नवनिर्माणाधीन रिसोर्ट के सदर्थ में विस्तार से अवगत करवा दिया गया था उक्त रिसोर्ट का नवनिर्माण श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा करवाया जा रहा है जो कि बिना वन विभाग एवं पर्यावरणीय अनुमति के करवाया जा रहा है जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2. यह कि महोदय उक्त प्रकरण के संदर्भ में आप सभी के कार्यालय के संज्ञान में आने के पश्चात् भी आप सभी के कार्यालय द्वारा आज दिनांक तक भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं लोकसेवक आचरण के विरुद्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अवैध गतिविधि में आप सभी के कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी लिप्त है।
3. यह कि महोदय प्रकरण आप सभी कार्यालय के संज्ञान में आये लगभग 1 माह का समय व्यतीत हो चुका है और मौके पर वननिर्माण पहले से तेज गति से चल रहा है और यह तथ्य भी जानकारी में आया कि उक्त रिसोर्ट का उदघाटन 30 दिसंबर 2024 को होने वाला है समय रहते ऐसे उदघाटन को रोकना एवं उक्त अवैध निर्माण का ध्वस्त करना आप सभी के कार्यालयों का उत्तरदायित्व है। यहां पर हमारे द्वारा पूर्व में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त अवैध निर्माण उपवन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर श्री जगदीश गुप्ता के संरक्षण में करवाया गया है और जगदीश गुप्ता एक भ्रष्ट आचरण करने वाला लोकसेवक है जो इस अभयारण्य को दिमक की तरह धीरे-धीरे खा रहा है जगदीश गुप्ता के विरुद्ध पूर्व में कई शिकायते हमारी संस्था द्वारा व कई व्यक्तियों द्वारा की जा चुकी है। जगदीश गुप्ता को राजनैतिक संरक्षण एवं आप सभी के कार्यालयों का संरक्षण प्राप्त है लिहाजा इस व्यक्ति के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं करना स्वयं सिद्ध करता है कि उक्त अवैध गतिविधि में आप सभी के कार्यालयों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग आवश्यक रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभयारण्य हित में तत्काल प्रभाव से उक्त नवनिर्माणाधीन व्यवसायिक होटल/रिसोर्ट को तत्काल प्रकार से ध्वस्त किया जावे साथ ही जिम्मेदारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा पर्यावरण को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति रूपयों में आकलन करके जगदीश गुप्ता उपवन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर व संचालक से वसूल किया जावे

तथा इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ (01)/शिकायत/2024/472-489 दिनांक 25.10.2024 की पालना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जावे, तथा आपके कार्यालय द्वारा जो भी कार्यवाही की जावे उसकी एक प्रति सूचनार्थ इस कार्यालय को भी प्रेषित की जावे।

धन्यवाद,

प्रार्थी

Hemraj Meena
(हेमराज मीणा)

मंत्री

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ (01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/679-688

दिनांक 01.12.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
2. श्रीमान् आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
3. श्रीमान् तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
4. श्रीमान् सहायक अभियन्ता जेविविएनएल कुण्डा की ढाणी आमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में उचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे साथ ही आपके कार्यालय द्वारा जारी विद्युत कनेक्शन को तत्काल हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।
5. श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव नाहरगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

6. श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी बायलोजिकल पार्क को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
7. श्रीमान वन पाल नाका चिमनपुरा रेंज नाहरगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अवैध नवनिर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का कष्ट करे एवं निर्माणाधीन कार्य को रूकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
8. श्रीमान् संपादक महोदय राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाईमस ऑफ इंडिया, फस्ट इंडिया न्यूज, नव भारत टाइम्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. श्रीमान् कृष्ण शर्मा एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं प्रदुषण अधिनियम 1980 एवं पर्यावरणीय नियमों एवं अधिनियमों का उल्लंघन प्रथम दृष्टयता सिद्ध होता है साथ ही उक्त प्रकरण में वन अधिकारियों की क्रम सं. 12, 13 व 16 से 18 की भूमिका भी संदिग्ध है ऐसी स्थिति में कार्यवाही राज्य स्तर पर प्रभावित होना प्रतीत हो रहा है लिहाजा उक्त प्रकरण को माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंद्रल जोन भोपाल के समक्ष पेश किये जाने का कष्ट करे। साथ क्रम सं. 12, 13, व 16, 17, 18 को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाते हुय याचिका पेश करने का कष्ट करे।
10. रक्षित पत्रावली।

प्रार्थी
Hemraj Meena
 (हेमराज मीणा)
 मंत्री
 नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव
 सुरक्षा एवं सेवा समिति





BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)



ORIGINAL APPLICATION NO. 260 OF 2024

HEMRAJ MEENA
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF DOCUMENTS

I, Hemraj Meena son of Shri Ramphool Meena, aged about 40 years, resident of 134/20-A Defence Colony, Gurjar Ghati Amer Road Jaipur, (Rajasthan), do hereby take oath and state as under:-

1. That I am applicant in this case and am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That annexed documents Annexure-A/1 to Annexure-A/8 are true and correct photo-copies of its original/office copies and Annexure-A/9 is colour copies of photographs, which I believed to be true and correct.

Identified by
[Signature]

VERIFICATION

Hemraj Meena

DEPONENT

I, above named deponent, do hereby verify that contents of para no.1 to 2 of the above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

ATTESTED

3 DEC 2024

NOTARY PUBLIC JAIPUR
(RAJ) INDIA

Hemraj Meena

DEPONENT

VAKALATNAMA

In the National Green Tribunal C-2, Bhopal (M.P.)
Case Original Application No. 260 / 2024
Hemraj Meena

VERSUSUnion of India & Others

KNOW ALL MEN by these presents that I/we the undersigned Hemraj Meena S/o
Sh. Ramphool Meena, R.O - 134/20-A Defence Colony
Surjan Chahi Amer Road Jaipur 302002.

_____ in the above case do hereby make, constitute and appoint
Shri Keishan Sharma, J.N. Sharma, Pawan Sharma
Vaibhav Pamcholy Adv., Ch. No. 178 old building
Raj. High Court Bench Jaipur.

my/our true and lawful attorneys, for me/us in my/our name, and on my /our behalf to appear plead and act in the said case, and more particularly to draw, make, present, withdraw, amend represent and verify petition, plaints or written statements and to make, present applications or petitions in the court, to present, withdraw and receive documents and any money from the Court or from the opposite party either in execution of the decree of otherwise, and on receipt of payment thereof to sign and deliver for me/us proper receipts and discharges for the same, to compromise or to refer the case to arbitration, to seek execution of the decree or any orders in the case, to draw, make present, withdraw, amend and represent any memorandum of appeal or cross objections in any appeal arising or to seek reviews or revisions of any judgement, decree or order in the case, to appear, conduct and plead in all such writ/appeals/revisions and reviews, and to do all other lawful acts and things as effectually as I/we could do the same whether being personally present or otherwise, my/our said counsel is/are also hereby authorised and empowered to instruct, engage or appoint any other counsel or counsels to appear, plead and act with or for him/them in his/their absence or otherwise as my/our said counsel my think proper to do so, all acts of such counsel or counsels shall be equally and similarly binding on me/us as if done by my/our said counsel and as if done by me/us personally.

I/We hereby agree that if any part of the said counsel's fee remains unpaid before the first hearing of the case or if any hearing of the case be fixed on tour or at any other place except the usual court premises, then my/our said counsel will not be bound to appear before the court. The counsel's fee now settled and agreed to is in respect of this Court and for the pending proceedings only. Any fresh action hereafter taken will entitle the counsel to fresh fees. I/We also agree that if the case be dismissed in default or if it be proceeded ex-parte under any circumstances whatsoever the said counsel shall not be held responsible for the same and all whatsoever my/our said counsel shall do in connection with the said case, I/We do hereby agree to ratify and confirm. Any costs awarded in the case at any time in my/our favour shall form part of the counsel's claim and shall be payable to him/them in addition to his/their fees in the case. (Vaibhav Pamcholy @ email.com)

IN WITNESS WHEREOF I/We have hereto set my/our hand(s) at _____

(Mob. 8890326517)

the _____ day of _____ and delivered to the said counsel(s)

Accepted

1. Hemraj Meena R/895/2000

2. Jaydhist R/109/1967

3. Palu R/3864/19

4. [Signature]

R/15/23

1. Hemraj Meena

2.

3.

4.